छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, योजना, आर्थिक सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2009–10

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, योजना, आर्थिक सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम कियान्वयन विभाग

प्रस्तावना

विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है । इस प्रतिवेदन में वित्त, योजना, आर्थिक एवं साख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम कियान्वयन विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालयों/आयुक्त/मण्डल आदि की गतिविधियों एवं उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी संकलित की गई है ।

(अजय सिंह)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त,योजना,आर्थिक सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम कियान्वयन विभाग

1. विभाग का नाम : वित्त तथा योजना विभाग

2. प्रभारी मंत्री का नाम : डॉ. रमन सिंह

मंत्रालय में पदस्थ अधिकारीगण

प्रमुख सचिव	:	1. श्री अजय सिंह
सचिव	:	1. श्रीमती रेणु जी. पिल्ले
	:	2. श्री विजयेन्द्र
संयुक्त सचिव	:	1. श्री सतीश पाण्डेय
उप सचिव	:	1. श्री एस.के.चक्रवर्ती
	:	2. डॉ.अल्पना घोष
अवर सचिव	:	1. श्री बी.एम.कुमावत
	:	2. श्री एम.के.खरे
	:	3. श्री चन्द्रशेखर ओंकार
शोध अधिकारी	:	1. श्री प्रशांत लाल
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	:	1. श्री ऋषभ पाराशर

विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थ अधिकारीगण

1.	**आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन**	:	श्री एम.एस.पैकरा
2.	**आयुक्त, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज**	:	श्री एम.एस.पैकरा
3.	**आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा**	:	श्री अजयपाल सिंह
4.	**आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं 20सूत्रीय कार्यक्रम**	:	श्री विजयेन्द्र
5.	**संचालक, संस्थागत वित्त**	:	श्री अमिताभ खंडेलवाल
6.	**संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली**	:	श्री सतीश पाण्डेय

मण्डल/आयोग में पदस्थ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

1.	**छत्तीसगढ़ राज्य योजना मण्डल**	:	1. अध्यक्ष- माननीय मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन 2. उपाध्यक्ष- डॉ डी.एन.तिवारी
2.	**छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड**		अध्यक्ष- माननीय मुख्यमंत्री, छ.ग.शासन

विषय सूची

क्रमांक	विभाग	संचालनालय/आयोग/मण्डल	पृष्ठ संख्या
1.	वित्त विभाग	1. संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन 2. संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा 3. संचालनालय, संस्थागत वित्त 4. संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज 5. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	पेज 01 से 08 तक पेज 09 से 25 तक पेज 26 से 30 तक पेज 31 पेज 32 से 33 तक
2.	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम कियान्वयन विभाग	1. छ.ग.राज्य योजना मण्डल 2. संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी 3. 20 सूत्रीय कार्यक्रम कियान्वयन विभाग	पेज 34 से 42 तक पेज 43 से 50 तक पेज 51 से 53 तक

संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ रायपुर

भाग– एक

सामान्य जानकारी

1. कार्यालय का स्वीकृत सेटअप :–

मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सेटअप निम्नानुसार स्वीकृत किया गया है :–

क्रं	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
01	आयुक्त/ संचालक	अखिल भारतीय सेवा	01
02	अपर संचालक	छ.ग. वित्त लेखा सेवा	02
03	संयुक्त संचालक, प्रवर श्रेणी वेतनमान	छ.ग. वित्त लेखा सेवा	05
04	उप संचालक वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान	छ.ग. वित्त लेखा सेवा	10
05	सिस्टम एनालिस्ट	छ.ग. को. सू. प्रौ. सेवा	01
06	सहायक संचालक/कोषालय अधिकारी /अति. कोषालय अधिकारी/ प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला– कनिष्ठ वेतनमान		37
07	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी तकनीकी	04
08	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	22
09	सहायक कोषालय अधिकारी/ उप कोषालय अधिकारी/सहा. लेखाधिकारी/कनिष्ठ लेखाधिकारी	छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा	120
10	शीघ्रलेखक ग्रेड–1,ग्रेड–2 ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	08
11	लेखा सहायक/उच्च श्रेणी लिपिक/ निम्न श्रेणी लिपिक/डाटा एंट्री आपरेटर/वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	549
12	दफ्तरी/भृत्य/चौकीदार/वाटर मैन/ स्वीपर	चतुर्थ श्रेणी	210
	योग		969

02. अ. संचालनालय के अधीनस्थ कोषालयों द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों द्वारा किये गये लेन–देन का लेखा जोखा शीर्षवार संधारित करते हुये आय व्यय का मासिक लेखा संकलित किया जाता है । जिसका अनुश्रवण संचालनालय द्वारा किया जाता है ।

ब. शासकीय कार्यालयों द्वारा किये गये वित्त संव्यवहारों का अंकेक्षण एवं भण्डार का भौतिक सत्यापन भी समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर संचालनालय तथा अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों द्वारा किया जाता है । प्रदेश के विभिन्न विभागों के कार्यालयों में कार्यरत

अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन निर्धारण प्रकरण को जांच और सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के पेंशन का प्राधिकार पत्र जारी करने का कार्य भी संभागीय कार्यालयों द्वारा किया जाता है ।

स. संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन के अधीन दो लेखा प्रशिक्षण शालायें कार्यरत है, जहां शासकीय /अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को लेखा कार्य एवं वित्तीय नियमों का प्रशिक्षण वर्ष में तीन सत्रों में दिया जाता है । वर्ष 2009–2010 में दों सत्रों में 109 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है

द. छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों की समस्याओं पर विचार करके एवं उनके निराकरण के उपाय सुझाने हेतु पेंशनर कल्याण मण्डल का गठन किया गया है । राज्य में पेंशन कल्याण निधि की स्थापना की गई है । जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की बीमारी की स्थिति में आंशिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है । पेंशनर कल्याण कोष में वित्त वर्ष 2009–10 में रूपये 26,00,000 में से दिसम्बर 2009 तक पेंशनरों को वित्तीय सहायता के रूप में रूपये 17,62,355/– स्वीकृत किये गये है ।

भाग–दो

बजट एक दृष्टि में

बजट प्रावधान एवं व्यय योजनावार
2049 ब्याज संख्या

राशि हजार रूपये में

कमांक	**योजना का नाम**	**प्रावधान वर्ष 2009–10**	**व्यय दिसम्बर 09 तक**
1.	4192–शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर)	9,84,44	
2.	4198–शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचत निधि पर)	34,53,52	
3.	4209–शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	7,40,00	
4.	6802–परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना	6,00,00	
5.	3360–मध्य भारत जीवन बीमा निधि पर व्यय	0	
	योग– 2049	**57,77,96**	**2,68,23**

टीप:– उपरोक्त योजना के अंतर्गत वर्ष में एक बार ब्याज की गणना की जाती है, गणना के अनुसार देय ब्याज का अंतरण वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व व्यय का अंतरण प्रस्ताव भेजा जाता है ।

मांग संख्या–06–2071 पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ

राशि हजार रूपये में

क्रमांक	योजना का नाम	प्रावधान वर्ष 2009–10	व्यय दिसम्बर 09 तक
6.	117 परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रयोजन हेतु शासकीय अंशदान 6801 राज्य शासन का अंशदान	30,00,00	272703
	योग– 2071	30,00,00	27,27,03

मांग संख्या 06–2054–राजकोष और लेखा प्रशासन

क्रमांक	योजना का नाम	प्रावधान वर्ष 2009–10	व्यय नवम्बर 09 तक
7.	2274–निदेशन एवं प्रशासन	3,20,01	2,12,87
8.	4307–संभागीय स्थापना	1,88,64	1,57,25
9.	3843–लेखा प्रशिक्षण शाला	19,31	17,18
10.	5697– कोषालय कम्प्यूटर प्रशिक्षण	1,90	15
11.	1026– खजाना स्थापना	12,04,81	9,78,89
12.	**योग– 2054**	**17,34,67**	**12,66,34**
13.	2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	5,02	4,06
14.	4070–800–0000–1026–खजाना स्थापना	1	

भाग–तीन

संचालनालय, कोष लेखा के अंतर्गत संचालित समस्त योजना एवं स्थापना व्यय आयोजनेत्तर मद में स्वीकृत है । राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना मद में न ही कोई स्थापना व्यय है और न ही कोई योजना संचालित है, अत: इसकी जानकारी निरंक है ।

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय– निरंक

भाग–पांच

अभिनव योजना

प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे व्यय पर नियंत्रण के लिये वित्त विभाग विभागाध्यक्षों एवं प्रदेश के समस्त कोषालयों को ई–कोष परियोजना के अंतर्गत कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ने के लिये राज्य शासन द्वारा प्रदत्त बजट से प्रदेश के 19 कोषालयों एवं 45 उप कोषालयों का नेटवर्क से जोड़ते हुये कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है तथा इसमें शासकीय कर्मचारी को आईडी नंबर देते हुए सेन्ट्रल सर्वर के इम्प्लाई डाटा बेस के साथ लिंक किया गया है और शासकीय सेवक जिनका सामान्य भविष्य निधि राशि वेतन से कटौती की जाती है, के सही खाते में जमा सुनिश्चित करने के लिये खाते नंबरों की भी कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था है । जो महालेखाकार कार्यालय के कम्प्यूटर से प्रेषित जानकारी के आधार पर अपडेटेड है ।

भाग–छः

संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंद्दान छत्तीसगढ़ द्वारा सेवानिवृत्त हुये एवं होने वाले शासकीय सेवकों के हित के लिये सेवानिवृत्ति परिलाभों का यथासमय पर भुगतान के संबंध में मार्गदर्शिका कार्यालय प्रमुख क्या करें और क्या न करें तथा कर्मचारी क्या करें एवं क्या न करें संबंधी पुस्तिका प्रकाशित कर कार्यालय प्रमुखों के बीच बांटा गया है ।

भाग– सात

विभागीय ढांचा, अधीनस्थ तथा संलग्न कार्यालय, सामान्य जानकारी :–

संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन की स्थापना छ.ग. राज्य के गठन दिनांक 01.11. 2000 को हुई है । इस विभाग के अंतर्गत संभागीय स्तर पर 04 संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, (रायपुर, बिलासपुर,जगदलपुरएवं अंबिकापुर) 19 जिला कोषालय एवं 45 बैंकिंग उप कोषालय स्थापित है । राज्य में स्थित सभी कोषालय/उप कोषालय एवं संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन के प्रशासकीय नियंत्रण में हैं । संचालनालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों पर मुख्यत निम्नानुसार गतिविधियां संचालित है:–

01. कोषालय स्तर पर कम्प्यूटरीकरण :–

राज्य शासन के वित्तीय प्रशासन को सुदृढ बनाने एवं आय–व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से समस्त कोषालयों/उप कोषालयों का दिनांक 01.04.2005 से कम्प्यूटरीकरण किया जाकर सभी कोषालयों एवं उप कोषालय को संचालनालय के मध्य व्ही–सेट के माध्यम से आनलाईन नेटवर्क स्थापित किया गया है । इस प्रणाली से राज्य अद्यतन आय–व्यय की स्थिति ज्ञात करने की सुविधा उपलब्ध की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के कोषालयों में **'' ई – कोष ''** लागू कर सम्पूर्ण कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण का साफ्टवेयर एन.आई.सी. द्वारा विकसित किया गया है। कोषालयों में डाटा प्रविष्टि के साथ अन्य कार्य जैसे कि डिपॉजिट पंजी का संधारण पेंशनर की सूची तैयार करना बजट कंट्रोल इत्यादि का निर्वहन किया जा रहा है।

साख पत्रों का कम्प्यूटरीकरण :–

निर्माण विभागों में बजट नियंत्रण से संबंधित साख पत्र का कार्य भी संभागीय सुंयक्त संचालकों द्वारा संपादित किया जा रहा है। निर्माण कार्य विभाग जैसे लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को साख पत्र मैन्यूअली जारी किया जाता था। **ई – कोष** के माध्यम से साख पत्रों का कम्प्यूटरीकरण किया गया जिसमें कम्प्यूटर के माध्यम से बजट व्यय तथा आवश्यक साख सीमा की प्रविष्टि की जाती हैं। इस व्यवस्था से उक्त विभागों में आबंटन से अधिक व्यय पर नियंत्रण रखा जाता है ।

ई–चालान की सुविधाः–

राज्य शासन द्वारा 10/2006 से छ.ग. राज्य में वाणिज्य कर विभाग में ई–चालान की सुविधा प्रारंभ की गई है। जिसके तहत इंटरनेट बैंकिग का उपयोग करने वाला व्यक्ति घर बैठे ही चालान जमा कर सकता है। लेखांकन हेतु सिटी कोषालय रायपुर को अधिकृत किया गया है। चालान जमा करने के उपरांत जमाकर्ता को इलेक्ट्रानिक रसीद प्राप्त हो जाती है। यह सुविधा अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यू टी आई बैंक में प्रदाय की जा रही है। यह सुविधा सभी विभागों के लिये उपलब्ध है । भविष्य में इस लेंखाकन एवं स्क्रालिंग संबंधित कोषालयों से लिंक की जायेगी ।

चालान जमा करने के लिये पृथक से बैंक की शाखाओं में शासकीय जमा काऊंटर खोला जाना :–

स्थानीय निवासियों की सुविधा की दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक की 09, देना बैंक की 12 एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 01 शाखाओं में पृथक से शासकीय जमा काऊंटर खोले गये है, जो निम्नानुसार है :–

भारतीय स्टेट बैंकः– नेवरा (रायपुर), डोंगरगांव (राजनांदगांव), लोरमी (बिलासपुर), पाली (कोरबा), चांपा(जांजगीर), चिरमिरी (बैकुण्ठपुर), गंडरिया(कर्वधा), कुनकुरी(जशपुर) नवापारा (राजिम) ।

देना बैंक :– नगरी, कुरूद (धमतरी), अभनपुर, धरसींवा, खरोरा, नवापारा (रायपुर), बसना, पिथौरा (महासमुन्द), बेरला, गुण्डरदेही, पाटन, थान खम्हरिया (दुर्ग) ।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया– मुख्य शाखा रायपुर

राज्य के आय व्यय लेखें का कम्प्यूटरीकरण :–

राज्य निर्माण के पूर्व राज्य के आय व्यय के अद्यतन आंकड़े मैन्युअली तैयार किये जाते थे। कोषालय कम्प्यूटरीकण करने से **ई – कोष** के तहत पूरे राज्य के आय – व्यय के अद्यतन आंकड़े विभागवार एवं शीर्षवार संचालनालय स्थित मुख्य सर्वर में उपलब्ध है। इससे विभिन्न विभागों की योजनाओं के आय व्यय की समीक्षा एवं राजय के वित्तीय प्रबंधन तथा इससे प्रत्येक विभाग की आय व्यय की अद्यतन स्थिति इंटरनेट द्वारा एन.आई.सी. के बेबसाईट के माध्यम से शासन को जानकारी उपलब्ध हो रहे है।

02. प्राप्ति एवं भुगतान लेखे का प्रेषण :–

राज्य के विभिन्न विभागों की आय एवं व्यय की राशि का लेखा संधारण कोषालयों/ उपकोषालयों के स्तर पर किया जाता है, समस्त कोषालय अधिकारी मासिक लेखा प्रेषण लेखे की प्रथम सूची जिसमें माह की 01 तारीख से 10 तारीख तक के समस्त लेन देन सम्मिलित रहते है उसी माह के 13 से 17 तारीख के मध्य एवं द्वितीय सूची जिसमें 11 तारीख से माह के अंतिम दिन तक के लेन देन का समावेश होता है, अगले माह की 5 से 8 तारीख तक महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करते है।

03. आंतरिक लेखा परीक्षण :-

राज्य के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में वित्तीय नियंत्रण रखने एवं शासन के नियमों के अनुसार किये जा रहे गतिविधियों पर सतत निगरानी के लिये लेखाओं का आंतरिक लेखा परीक्षण तथा विशेष लेखा परीक्षण संचालनालय एवं संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा सम्पादित किया जाता है। संचालनालय द्वारा वर्ष 2009-10 माह दिसम्बर 09 तक छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देशानुसार हस्त शिल्प विकास बोर्ड, खरीद वर्ष, यूरोपियन कमीशन (स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, वन), राजीव कुंभ मेला के 07 का विशेष लेखा परीक्षण किया गया ।

04. विभागीय निरीक्षण :-

विभागाध्यक्ष के अधीन संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालय का 01, जिला कोषालय का 10, लेखा प्रद्दिक्षण शाला 01, तथा उपकोषालय का 06 के प्रभावी नियंत्रण के लिये वर्ष 2009-10 में माह दिसंबर 09 तक रोस्टर अनुसार विभागीय निरीक्षण संपन्न किये गये ।

05. पेशंन एवं वेतन निर्धारण का निराकरण :-

वर्ष 2009-10 में माह दिसम्बर 2009 की स्थिति में 3548 पेंशन प्रकरणों तथा 3427 पुनरीक्षित पेंशन प्रकरणों एवं 36521 वेतन निर्धारण प्रकरणों का निराकरण किया गया है । राज्य के जिला मुख्यालयों में पेंशन प्रकरण निराकरण हेतु शिविर आयोजित कर प्रकरणों का निराकरण किये जा रहे है । पेंशन से संबंधित जानकारी एवं सुविधा प्रदाय करने हेतु cg.nic.in.pensioners portal website माह जुलाई 2007 से स्थापित किया जा चुका है। छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, के निर्देश क्रमांक 24/2007 दिनांक 07.07.2007 के द्वारा 01.01.1996 के पूर्व के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के निर्देश प्रसारित किये गए इसके तारतम्य में पेशंन पुनरीक्षण का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है । साथ ही प्राधिकृत नये पेंशन प्रकरणों में नियमित भुगतान प्रारंभ होने की स्थिति की समीक्षा प्रत्येक माह किया जाता है ।

पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय पर हो इसके लिये आगामी दो वर्ष में सेवानिवृत्त7 होने वाले समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वेतन निर्धारण की जांच अनिवार्य तौर पर की गई है। ताकि अधिक भुगतान की स्थिति निर्मित होने पर उसकी वसूली भी सुनिश्चित की जा सकें।

06. पेंशन कल्याण मण्डल एवं पेंशन कल्याण कोष :-

राज्य के पेंशनरों की समस्याओं के निराकरण के लिये राज्य शासन को उपाय सुझाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में पेंशन कल्याण मण्डल गठित है। मंडल में विभिन्न पेंशनर संघों के पांच प्रतिनिधि अशासकीय सदस्यों के रूप में नामांकित है।

राज्य गठन के पश्चात् पेंशनरों एवं उसके परिवारों के सदस्यों को गंभीर बीमार, दुर्घटना ग्रस्त होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये पेंशनर कल्याण कोष गठित है। कोष में उपलब्ध राशि रूपये 26,00,000 में से दिसंबर 2009 तक पेंशनर को वित्तीय सहायता के रूप में 17,62,355/- स्वीकृत किये गये है।

07. जीवन बीमा योजना :-

दिनांक 01.11.1974 से शासकीय सेवा परिवार कल्याण निधि योजना अनिवार्य रूप से प्रभावशील की गई थी । तत्पश्चात म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 01.07.1985 से समूह बीमा योजना प्रभावशील करते हुये यह प्रावधान रखा गया है कि शासकीय सेवक परिवार कल्याण योजना 1974 के सदस्य अपना नकारात्मक विकल्प प्रस्तुत कर पूर्व अनुसार परिवार कल्याण निधि योजना के सदस्य बने रहकर योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से अंशदान जमा कराते रहेंगे । किन्तु ऐसा विकल्प प्रस्तुत न करने पर वे स्वमेव समूह बीमा योजना 1985 के अनिवार्य सदस्य होंगे तथा अनिवार्य रूप से उनके वेतन समूह बीमा योजना 1985 के अंतर्गत कटोत्रा किया जावेगा ।

यह योजना संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन के प्रशासकीय नियंत्रण अधीन है तथा योजनाओं से संबंधित बिन्दुओं पर प्रशासित करना, योजनाओं के अभिलेखों का निरीक्षण करना, योजना के अंतर्गत भुगतान राशि का परीक्षण करना, योजना से संबंधित आय व्यय के आंकड़े संबंधी संचित अवशेष राशियों पर ब्याज संगणित करना एवं शासन को प्रतिवेदन का कार्य सौंपा गया है । इस विभाग द्वारा कई कार्यालय प्रमुखों द्वारा जारी किये गये परिवार कल्याण निधि तथा समूह बीमा योजना के अधीन स्वीकृति आदेश तथा पात्रता राशि का परीक्षण किया गया और त्रुटि पाये जाने पर संबंधितों को सुधार हेतु लेख किया गया साथ ही चाहे जाने पर उन्हें मार्गदर्शन भी दिया गया ।

उक्त योजना के अधीन सिर्फ मृत्यु/सेवा निवृत्ति पर ही बीमा राशि देय होती है। बीमें के दायरे को बढ़ाते हुये चोट अथवा बीमारी के लिये भी बीमा राशि देय हो इसके योजना में प्रावधान किये जाने की कार्यवाही जारी है।

08. अंशदायी पेशंन योजना :-

छ.ग. शासन द्वारा 1.11.2004 से तथा उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों हेतु अंशदायी पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना से 31.12.2009 तक कुल 41583 अधिकारी/कर्मचारी शामिल है । 2008-09 के लिए कुल 33.975 कर्मचारियों को लेखा पर्ची माह जून 2009 में जारी कर दी गई है ।

अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेन्सी (CRA) नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के साथ राज्य शासन की ओर से दिनांक 19.09.2008 एवं एन.पी.एस. ट्रस्ट के साथ दिनांक 20.02.2009 को अनुबंध निष्पादित किया गया है । योजनान्तर्गत फण्ड मैनेजर के रूप में एस.बी.आई. पेंशन फण्ड प्रायवेट लिमिटेड, यू.टी.आई. रिटायरमेंट सोल्यूशन लिमिटेड तथा एल. आई.सी. पेंशन फण्ड लिमिटेड को क्रमशः 40% , 31% , 29% के अनुपात में पेंशन फण्ड के

हिस्सेदारी के साथ पेंशन फण्ड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा नियोजित किया गया है ।

योजनांतर्गत 01 अप्रैल 2009 से अधिकारी/कर्मचारियों को परमानेंट रिटायरमेंट एकाउन्ट नम्बर (PRAN) केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेन्सी (CRA) द्वारा आवंटित किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2009-10 में 31 दिसम्बर 2009 तक ट्रस्टी बैंक बैंक ऑफ इण्डिया को योजना की कुल राशि 1,41,21,93,663 रूपये स्थानान्तरित किया जा चुका है । योजनान्तर्गत 31 मार्च 2009 तक सेवानिवृत्त, त्यागपत्र एवं मृत कर्मचारियों के 215 प्रकरणों पर कुल रूपये 40,34,786 का भुगतान किया गया है ।

कार्यालय आयुक्त स्थानीय निधि संपरीक्षा

भाग – 1

1. सामान्य जानकारी –

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य के विभिन्न निगमित एवं अनिगमित निकायों के एवं स्वायत्तशासी स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं आदि के लेखाओं को अंकेक्षण विभाग द्वारा संपादित किया जाता है । विभाग द्वारा स्थानीय निकायों के नियम/ अधिनियम एवं उपविधियों तथा क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला जाता है । विभाग के प्रतिवेदन में निकाय के आर्थिक व्यवस्था तथा लेखाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदन में सम्मिलित करते हुए अनियमितताओं के साथ आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण आपत्तियों का यथा संभव समावेश किया जाता है ।

शासन के पत्र क्रमांक/एफ-1-ए-1/2002/स्था/चार रायपुर, दिनांक 26.04.08 द्वारा नगरीय निकाय यथा नगर निगम, विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर विकास प्राधिकरण आदि में स्थापित आवासीय अंकेक्षण व्यवस्था स्थगित की गई है।

इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 09-10 (31 दिसबंर 2009 तक) की अवधि में, जिन स्थानीय निकायों के लेखाओं की पश्चातवर्ती संपरीक्षा संपादित की गई है । उनकी आर्थिक व्यवस्था एवं लेखाओं के विशिष्टताओं का सारांशीकृत विवरण दिया गया है । वित्तीय अनियमितताओं के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्व की आपत्तियों का भी यथा संभव उल्लेख संबंधित संस्थाओं/ निकायों के वर्ष विशेष के संपरीक्षा प्रतिवेदन में किया गया है । अनियमितताओं के संबंध में समय-समय पर विशेषत: निकायों की संपरीक्षा के समय ही, निकाय के प्रमुख अधिकारियों के साथ विचार विमर्श पश्चात विगत तथा वर्तमान संपरीक्षा प्रतिवेदनों में उत्थापित आपत्तियों के निराकरण तथा लेखा प्रणाली में आवश्यक सुधार लाने हेतु विशेष प्रयास किये जाते हैं ।

2. विभाग का प्रशासकीय ढांचा –

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, कोरबा एवं कोरिया में स्थापित हैं । संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये कुल 356 पदों का सृजन किया गया है । संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में निम्नानुसार पद आबंटित किया गया है :-

क	कार्यालय	कुल पद संख्या
1	संचालनालय, रायपुर	43
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	75
3	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	55
4	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	42
5	क्षेत्रीय कार्यालय, राजनांदगांव	67
6	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	38
7	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरिया	36
कुल पद संख्या		**356**

संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 31.12.2009 की स्थिति में कार्यरत स्टाफ की जानकारी निम्नानुसार है :-

क	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	टीप
1	संचालक	01	01	0	
2	अतिरिक्त संचालक	01	0	01	अतिरिक्त प्रभार
3	संयुक्त संचालक	02	01	01	01 पद पर कार्यरत अधिकारी दिनांक 31.12.2009 को सेवा निवृत्त
4	उप संचालक	07	05	02	01 उपसंचालक नगरीय प्रशासन विकास विभाग रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर हैं । 01 पद पदोन्नति से रिक्त है।
5	सहायक संचालक	24	20	04	1. 01 सहायक संचालक प्रतिनियुक्ति पर मार्कफेड रायपुर में कार्यरत ।
6	ज्येष्ठ संपरीक्षक	78	52	26	01 ज्येष्ठ संपरीक्षक प्रतिनियुक्ति पर राज्य भंडार गृह निगम, रायपुर में कार्यरत एवं 16 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
7	असिस्टेंट प्रोग्रामर	01	0	01	..
8	अधीक्षक	01	01	0	..
9	मुख्य लिपिक	02	02	0	..
10	सहायक अधीक्षक	01	01	0	..
11	सहायक ग्रेड 1	01	01	0	छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत ।
12	स्टेनोग्राफर	01	0	01	..
13	सहायक संपरीक्षक	155	115	40	
14	लेखापाल	01	01	0	..
15	सहायक ग्रेड 2	13	11	02	..
16	डाटा एंट्री ऑपरेटर	07	04	03	..
17	सहायक ग्रेड 3	21	16	05	08 पदों पर सी.आई.डी.सी. से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ।

18	स्टेनो टायपिस्ट	05	0	05	..
19	वाहन चालक	01⁄04	01⁄04	0	1. 04 पद संविदा पर कार्यरत है।
20	भृत्य	22	16	06	..
21	चौकीदार (अस्थाई)	07	07	0	01 चौकीदार म.प्र. के समय से कार्यभारित आकस्मिकता एवं 06 चौकीदार आकस्मिकता (कलेक्टर दर) पर कार्यरत
योग		**356**	**259**	**97**	..

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 के तहत कुल 10542 संस्थाओं के लेखाओं की संपरीक्षा विभाग द्वारा संपन्न की जाती है जिनमें राज्य की 9820 ग्राम पंचायत भी सम्मिलित हैं। शासन द्वारा समय-समय पर शासनहित में अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के दृष्टिकोण से नवीन नगर पंचायतों का गठन एवं नवीन ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है जिससे ग्राम पंचायतों की संख्या में कमी/वृद्धि संभावित होने से निकायों की संख्या में वृद्धि संभावित है । विभाग के रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, कोरिया एवं कोरबा में स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से राज्य के समस्त निगमित एवं अनिगमित निकायों की संपरीक्षा की जाती है।

3. जनकार्य दिवस की स्थिति :-

अ वित्तीय वर्ष 2008-09 की जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी :-

1/4/08 को अवशेष	2008-09 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2008-09 में संपादित कार्य	31/03/09 को अवशेष
186410	44104	320514	27048	203466

ब वित्तीय वर्ष 2009-10 में जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी :-

1/4/09 को अवशेष	2009-10 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2009-10 में संपादित कार्य (31.12.09 तक)	31/12/2010 को अवशेष
203486	59264	262750	30737	232013

टीप:- 1. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जनकार्य दिवस में संशोधन के कारण दिनांक 01.04.09 के प्रारंभिक अवशेष में वृद्धि दृष्टिगत है ।

2. नगरीय निकाय यथा नगर निगम/विश्वविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/रायपुर विकास प्राधिकरण आदि में स्थापित आवासीय अंकेक्षण स्थगित करने के कारण इन निकायों के लिए निर्धारित मानव दिवस में दो गुनी वृद्धि दृष्टिगत है तथा भविष्य में लंबित अंकेक्षण मानव दिवस की उत्तरोत्तर वृद्धि संभावित है।

4. संपरीक्षा शुल्क :-

अ. 2008-09 से संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :-

		आंकड़े करोड़ में
1	अप्रैल 08 को प्रारंभिक शेष	10.50
2	1/4/2008 से 31/3/09 तक मांग	03.44
3	कुल मांग मार्च 2009 तक	13.94
4	कुल वसूली मार्च 2009 तक	0.61
5	दिनांक 31.3.08 को अवशेष	13.33

ब. 2009-10 से संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :-

		आंकड़े करोड़ में
1	1/4/09 को प्रारंभिक शेष	12.45
2	वर्ष 09-10 की मांग माह दिसंबर 09 की स्थिति में	01.70
3	कुल मांग दिसंबर 2009 की स्थिति में	14.15
4	कुल वसूली दिसंबर 2009 की स्थिति में	0.51
5	दिनांक 31.12.09 को अवशेष	13.64

टीप:- क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अंकेक्षण शुल्क में संशोधन के कारण दिनांक 01.04.09 के प्रारंभिक अवशेष में कमी तथा राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय यथा नगर निगम, विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर विकास प्राधिकरण आदि में स्थापित आवासीय अंकेक्षण व्यवस्था स्थगित करने के कारण इन निकायों से संपरीक्षा शुल्क वसूली संतोषप्रद नहीं होने से अवशेष राशि अधिक दृष्टिगत है ।

5. संपरीक्षा प्रतिवेदन :-

वर्ष 2008-09 में विभिन्न संस्थाओं/ निकायों की ओर संपरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रसारण की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

अ वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रसारित संपरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति निम्नानुसार थी:-

1/4/08 को प्रसारण हेतु लंबित प्रति	2008-09 में प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2008-09 में प्रसारित प्रतिवेदन	31/03/09 को अवशेष
57	1254	1311	1098	213

ब वित्तीय वर्ष 2009-10 (दिनांक 31 दिसम्बर 2009 तक) में प्रतिवेदन प्रसारण की स्थिति निम्नानुसार है :-

1/4/09 को अवशेष	2009-10 (माह दिसंबर 2009) प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2009-10 में (माह दिसंबर 2009) प्रसारित प्रतिवेदन	31/12/2010 को अवशेष
213	728	941	752	189

6. निराकृत आपत्तियां :-

वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं माह दिसम्बर 2009 की स्थिति में विभिन्न स्थानीय निकायों की ओर लंबित एवं निराकृत आपत्तियों की जानकारी एवं सन्निहित राशि की जानकारी निम्नानुसार थी :-

अ वित्तीय वर्ष 2008-09 की स्थिति में :-

अर्थ वर्ा	प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्ति संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	निराकृत आडिट आपत्ति संख्या	अवशेष आडिट आपत्ति संख्या
2008.09	158526	18672	177198	2638	174560

ब वित्तीय वर्ष 2009-10 की स्थिति में :-

अर्थ वर्ष	प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्ति संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	निराकृत आडिट आपत्ति संख्या	अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	सन्निहित राशि
2009.10	174560	11358	185918	830	185088	11681924127

टीप:- राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय यथा नगर निगम, विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर विकास प्राधिकरण आदि में स्थापित आवासीय अंकेक्षण व्यवस्था स्थगित करने के कारण इन निकायों से आपत्ति निराकरण संतोशप्रद नहीं होने से अवशेष आपत्ति अधिक दृष्टिगत है।

7. **स्थानीय निकायों के आय-व्यय** -

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में जिन निकायों की संपरीक्षा की गई उनके आय-व्यय के आंकड़े निम्नानुसार रहे :-

अ वित्तीय वर्ष 2008-09 की स्थिति में :-

आय - 28,52,32,54,962.00

व्यय - 79,54,87,85,686.00

ब. वित्तीय वर्ष 2009-10 (दिसंबर 2009) की स्थिति में

आय - 28,12,80,81,817.00
व्यय - 22,50,80,08,542.00

अंकेक्षण के समय एवं प्रतिवेदनों में लगातार आपत्ति लिये जाने के बाद भी अधिकांश स्थानीय संस्थाओं में यथा समय आय-व्यय पत्रक तैयार करने एवं सक्षम स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राप्त करने के प्रति अपेक्षित अभिरूचि का अभाव दृष्टिगत हुआ । साथ ही संतुलित बजट तैयार नहीं किये जाने की प्रवृत्ति यथावत बनी हुई है। बजट प्रावधानों से अधिक व्यय सामान्यत: पाया गया । बजट पुनर्विनियोजन करके नियमित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं किया जाना परिलक्षित हुआ ।

8. प्रभक्षण :-

लेखा नियमों में अवहेलना तथा स्थानीय निधि के उचित समय में शिथिलता के कारण प्रतिवेदनाधीन अवधि में प्रभक्षण की स्थिति निम्नानुसार थी :-

दिनांक 31.12.09 तक प्रकरणों की संख्या	31.12.09 को वसूली हेतु अवशेष राशि
1540	03,96,19,916.23

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष में प्रभक्षण से संबंधित प्रमुख आपत्तियों का उदाहरण निम्नानुसार है :-

1. नगर पंचायत लोरमी जिला बिलासपुर अर्थवर्ष 1999-2000 के अंकेक्षण प्रतिवेदन कंडिका क्रमांक 5 के अनुसार रसीदों से संग्रहित जलकर एवं विविध शुल्क की राशि पंचायत निधि में जमा न कर श्री शिवगीरी गोस्वामी द्वारा राशि रू. 26,990.00 का प्रभक्षण किया गया ।
2. जनपद पंचायत दरभा जिला बस्तर अर्थवर्ष 2000-01 से 07-08 के अकेंक्षण प्रतिवेदन कंडिका क्रमांक 5 के अनुसार जिला पंचायत जगदलपुर से प्राप्त राशि जनपद रोकपुस्त में प्रविष्टि तथा बैंक में जमा न कर राशि रू. 16,87,128.00 का संभावित प्रभक्षण।
3. जनपद पंचायत बेरला जिला दुर्ग अर्थवर्ष 2002-03 से 05-06 के अकेंक्षण प्रतिवेदन कंडिका क्रमांक 4 के अनुसार बैंक पासबुक में जमा के अभाव में राशि रू. 10 लाख का संभावित प्रभक्षण।
4. जनपद पंचायत रायगढ़ जिला रायगढ़ अर्थवर्ष 2004-05 से 07-08 के अकेंक्षण प्रतिवेदन कंडिका क्रमांक 5 के अनुसार चैक क्रमांक 475368 दिनांक 06.10.05 से आहरित राशि कैश बुक में प्रविष्टि कर राशि रू. 1,05,392.00 का संभावित प्रभक्षण।
5. जनपद पंचायत नवागढ़ जिला दुर्ग अर्थवर्ष 2003-04 से 07-08 के अकेंक्षण प्रतिवेदन कंडिका क्रमांक 12 के अनुसार बाजार नीलामी की चैक राशि रू. 82,500.00 का संभावित प्रभक्षण।

6. ग्राम पंचायत लोहारसिंह जनपद पंचायत पुसौर जिला रायगढ़ अर्थवर्ष 2003-04 से 08-09 पूर्व सरपंच द्वारा वर्तमान सरपंच को प्रभार में नगद राशि रू. 1,02,210.47 न सौपने से संभावित प्रभक्षण।
7. ग्राम पंचायत तिवरागुड़ी जनपद पंचायत रामानुजगंज जिला सरगुजा वर्ष 2003-04 से 04-05 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिका क्रमांक 11 अनुसार बैंक से विभिन्न तिथियों में राशि आहरण कर कैश बुक में प्रविष्टि न कर श्री जीतन सिंह पंचायतकर्मी (सचिव) द्वारा राशि रू. 1,46,536.00 का संभावित प्रभक्षण।
8. ग्राम पंचायत सरिया जनपद पंचायत बहरमकेला जिला रायगढ़ अर्थवर्ष 2003-04 से 08-09 कैद्दा बुक में योग त्रुटिकर राशि रू. 1 लाख का संभावित प्रभक्षण। प्रभक्षण कर्ता श्री बैजेन्द्र प्रधान पंचायत कर्मी।
9. ग्राम पंचायत सुकली जनपद पंचायत कसडोल जिला रायपुर अर्थवर्ष 2003-04 से 07-08 अंकेक्षण प्रतिवेदन कंडिका क्रमांक 15 बर्हिगामी सरपंच के पास शेष दर्शाकर कर वर्तमान सचिव/सरपंच द्वारा राशि रू. 2,28,285.00 का दुरूपयोग/अपवंचन की संभावना । अपवंचनकर्ता श्री फेरूसिंह दीवान, श्री सदनलाल ध्रुव।
10. ग्राम पंचायत उमरिया जनपद पंचायत बेमेतरा जिला दुर्ग वर्ष 2003-04 से 07-08 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिका क्रमांक 07 अनुसार दोहरा भुगतान दर्शाकर राशि रू 30,721.00 का संभावित प्रभक्षण। प्रभक्षण कर्ता श्री कामताप्रसाद वर्मा, स.ग्रा.प.अधिकारी, श्री अनुराधा दुबे, सरपंच।
11. ग्राम पंचायत पल्ली जनपद पंचायत कोण्डागांव जिला बस्तर वर्ष 2003-04 से 07-08 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिका क्रमांक 06 अनुसार रसीद बुक से प्राप्त आय रोकपुस्त में प्रविष्टि न कर राशि रू. 1,64,408.00 का संभावित प्रभक्षण। प्रभक्षण कर्ता श्री धनसूराम नेताम, भूतपूर्व सरपंच, संतु राम मरकाम भूतपूर्व सचिव।
12. ग्राम पंचायत डोंगरीगुड़ा जनपद पंचायत कोण्डागांव जिला बस्तर वर्ष 2003-04 से 07-08 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिका क्रमांक 06 अनुसार रसीद बुक से प्राप्त आय रोकपुस्त एवं पास में में प्रविष्टि न कर राशि रू. 8,15,551.00 का संभावित प्रभक्षण। प्रभक्षण कर्ता श्रीमति इतवारी बाई सोरी, भूतपूर्व सरपंच, श्री धन्नूराम सोरी वर्तमान संरचप श्री टी.सी. बब्बर एवं बी.आर. नाम भूतपूर्व सचिव।
13. ग्राम पंचायत जर्वे (ब) जनपद पंचायत बलौदा अर्थवर्ष 2006-07 से 07-08 रसीद बुकों से प्राप्त आय को पंचायत निधि में राशि रू. 30231.00 जमा नहीं किये जाने से संभावित प्रभक्षण।
14. नगर पंचायत लोरमी वर्ष 98-99 से 02-03 तक एवं 06-07 से 07-08 बैक चेक चोरी कर राशि रू. 50000.00 आहरण से संभावित प्रभक्षण।

9. अधिभार :-

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत, ऐसी हानियों के प्रकरण जो किसी अधिकारी /कर्मचारियों की अपने कर्तव्यों के प्रति घोर अवहेलना, कदाचरण अथवा तत्परता से कर्तव्यों का पालन न करने या कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के कारण अवैधानिक व्यय हुआ हो, ऐसे प्रकरणों में अधिभार कार्यवाही संस्थित की जाती है। ऐसे अधिभार प्रकरणों में विभाग द्वारा कार्यवाही की स्थिति निम्नानुसार है :-

अ. वित्तीय वर्ष 2008-09 की स्थिति में :-

क्र	प्रकरण का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि रू.	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि रू.
1	अधिभार आरोप पत्र	38	57,53,313.00	..	38	57,53,313.00
2	अधिभार सूचना	09	05,12,288.00	..	09	05,12,288.00
3	अधिभार आदेश	24	08,28,738.00	..	24	08,28,738.00
4	मांग प्रमाण पत्र	41	09,62,726.00	..	41	09,62,726.00

ब. वित्तीय वर्ष 2009-10 (दिनांक 01.04.08 से 31.12.09) की स्थिति में :-

क्र	प्रकरण का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि रू.	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि रू.
1	अधिभार आरोप पत्र	02	75,595.00	..	02	75,595.00
2	अधिभार सूचना	..	..	..	..	..
3	अधिभार आदेश	..	..	..	..	..
4	मांग प्रमाण पत्र	..	..	..	..	..

अधिभार के जरिये दोषी व्यक्तियों से धन राशि वसूली हेतु जिलाध्यक्षों को भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं, जिसकी वसूली अपेक्षित है।

महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी :-

संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी कुछ महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

10. क्षति/हानि संबंधी अनियमिततायें :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी क्षति/ हानि संबंधी अनियमिताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1.	जनपद पंचायत आरंग	2006-07 से 08-09	08	भविष्य निधि कटौती से अधिक जमा से जनपद निधि को आर्थिक क्षति	63869.00
2.	कृषि उपज मण्डी समिति राजनांदगांव	98-99 से 06-07 एवं 08-09	-	मण्डी शुल्क विलम्ब से किए जाने से ब्याज की वसूली अपेक्षित	934250.00

3.	कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र कुम्हरावण्ड	08–09	05	अण्डर साइज जीन्स की विक्रय नहीं होने से क्षति	365245.00
4.	नगर पंचायत कटघोरा	2002–03 से 08–09	06	दुकान नीलामी की प्रीमियम राशि वसूल न किए जाने से आर्थिक क्षति	1736850.00
5.	पं. सुंदरलाल शर्मा मुक्त वि.वि. बिलासपुर	2008–09	–	अधिक भुगतान की वसूली अपेक्षित	33242.00
6.	पं. सुंदरलाल शर्मा मुक्त वि.वि. बिलासपुर	2008–09	–	स्रोत पर आय कर कटौती नहीं किया जाना	275730.00

11. अनावश्यक एवं अनियमित व्यय :–

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी अनावश्यक एवं अनियमित व्यय संबंधी आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1.	जनपद पंचायत धमतरी	2003–04 से 07–08	11	विज्ञापन प्रकाशन एवं हार्दिक अभिनंदन पर अनियमित व्यय	387817.00
2.	नगर पालिका परिषद जामूल	2008–09	–	सी.आई.सी./ परिषद की स्वीकृति के बिना अनियमित भुगतान	837000.00
3.	नगर पंचायत कटघोरा	2002–03 से 08–09	18	विद्युत सामग्री खरीदी में अनियमित भुगतान	267316.00
4.	जनपद पंचायत कोरबा	2004–05 से 06–07	11	अभिनंदन विज्ञापन पर व्यय	243450.00
5.	जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा	2005–06 से 07–08	14	जीप किराया पर अनियमित भुगतान	500968.00
6.	नगर पंचायत कुसमी	2003–04 से 06–07	10	जीप किराया पर अनियमित भुगतान	142015.00
7.	जनपद पंचायत बस्तानार	2004–05 से 07–08	03	परियोजना मद से सामग्री क्रय का अनियमित भुगतान	1172740.00

8.	नगर पालिका परिषद शक्ति	2005–06	–	जीप किराए का अनियमित भुगतान	154669.00
9.	जनपद पंचायत बम्हनीडीह	2002–03 से 08–09	–	पान सेंटर का अनियमित व्यय	205821.00
10.	ग्राम पंचायत चारपारा, जनपद पंचायत बलौदा	2007–08	–	इंदिरा आवास योजना में अनियमित भुगतान	137500.00

12. **स्थापना संबंधी :–**

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शित स्थापना संबंधी अनियमिताओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1.	नगर पंचायत भानुप्रतापपुर	2004–05 से 08–09	12	श्री सी.पी. उपाध्याय मु.न.पा.अधि. को अनियमित वेतनभुगतान	107000.00
2.	नगर पंचायत कटघोरा	2002–03 से 08–09	26	वेतनमान के अधिकतम से अधिक वेतन का भुगतान	17089.00
3.	नगर पालिका परिषद जामुल	2008–09	–	स्थाई प्रकृति के कार्य हेतु लगातार मस्टररोल में श्रमिकों को नियोजित किया जाकर वेतन का अनियमित भुगतान	2434640.00
4.	कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार वि. वि. रायपुर	2007–08 से 08–09	11	संविदा नियुक्ति कर्मचारियों/अधिकारियों को अधिक भुगतान	73196.00
5.	सी.एम.डी. महाविद्यालय बिलासपुर	2005–06 से 07–08	–	यात्रा भुगतान वसूली अपेक्षित	29944.00
6.	बैंक ऋण वसूली प्रोत्साहन योजना जिला जांजगीर	1998–99 से 2007–08	–	अनियमित नियुक्ति के कारण श्री विजय कुमार साहू को समस्त भुगतान वसूली योग्य	89608.00

13. निर्माण कार्य संबंधी अनियमिततायें :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी निर्माण कार्य संबंधी अनियमिताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1.	नगर पालिका गोबरा नवापारा	2005-06 से 07-08	18	सदर रोड़ निर्माण कार्य में अनियमित भुगतान	68076.00
2.	नगर पालिका परिषद जामुल	2008-09	-	राज्यप्रवर्तित योजना के तहत बाजार निर्माण कार्य का अनियमित भुगतान	2116433.00
3.	नगर पंचायत डोंगरगांव	2007-08 से 08-09	-	निर्माण कार्यो पर अनियमित व्यय की वसूली अपेक्षित	799146.00
4.	नगर पंचायत कटघोरा	2002-03 से 08-09	34	राजीव खेल निर्माण में व्यय निरर्थक	1630934.00
5.	नगर पालिका परिषद किरन्दुल	2008-09	10	लोहे की दर अधिक दिए जाने परिषद को आर्थिक क्षति	3027921.00
6.	जिला पंचायत बस्तर	200708 से 08-09	04	केंटीन निर्माण में अधिक भुगतान	422800.00
7.	नगर पंचायत बिल्हा	2008-09	-	गौरव पथ निर्माण विद्युत पोल रिपेंयरिंग में अनियमितता	1734700.00

14. कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली अपेक्षितः-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा प्रतिवेदन में निकायों द्वारा कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली तत्परतापूर्वक यथासमय नहीं किये जाने से कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली भारी मात्रा में बकाया है । विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1	नगर पंचायत गीदम	2008-09	9 से 12	संपत्तिकर/समेकित कर/ दुकान/जलकर/अनुज्ञप्ति शुल्क बकाया	357987.00
2.	कृ.उ.म.स. राजनांदगांव	98-99 से 06-07 एवं 08-09	-	मण्डी शुल्क बकाया	3560434.00
3.	नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़	2008-09	-	करों की बकाया	5015000.00
4.	नगर पालिका परिषद बीरगांव	2008-09	06	बकाया कर की राशि वसूली योग्य	10237100.00
5.	कृ.उ.म.स. आरंग	2005-06 से 07-08	05	मण्डी शुल्क बकाया	16823439.00
6.	जनपद पंचायत बम्हनीडीह	2002-03 से 08-09	-	नौकाघाट का भारी बकाया	2999500.00

15. दायित्व निर्वहन में शिथिलता :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आया कि स्थानीय निकायों द्वारा दायित्व निर्वहन में शिथिलता बरती जा रही है। जिससे निकायों के दायित्व में सतत् वृद्धि होती जा रही है। दायित्व निर्वहन में शिथिलता से संबंधित उदाहरण निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1	कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार वि.वि. रायपुर	2007-08 से 08-09	21	आयकर/वाणिज्य कर कटौती का अभाव	173210.00
2.	नगर पंचायत डोंगरगांव	2007-08 से 08-09	-	स्वीकृत प्राक्कलन से अधिक व्यय	5445613.00
3.	जनपद पंचायत पुसौर	2002-03 से 07-08	06	सेंट्रिंग प्लेटस किराया वसूल न किया जाना	180000.00
4.	नगर नंचायत गीदम	2008-09	19	आयकर की राशि जमा नहीं किया जाना	226224.00
5.	नगर पंचायत भानुप्रतापपुर	2004-05 से 08-09	32	वाणिज्यकर की राशि जमा नहीं किया जाना	265824.00
6.	नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा	2005-06 से 07-08	20	वाणिज्यकर की राशि जमा नहीं किया जाना	528203.00
7.	नगर पचांयत बिल्हा	2008-09	-	रायल्टी जमा का अभाव	153671.00
8.	बैंक ऋण वसूली प्रोत्साहन योजना जिला जांजगीर	1998-99 से 2007-08	-	संस्थागत वित्त संचालनालय रायपुर को राज्यांश राशि भेजा जाना अपेक्षित	58525.00

16. ग्राम पंचायतों के संबंध में विशेष :-

स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण प्रारंभ किये जाने के बाद प्राय: प्रतिवेदनों में आपत्तियां दृष्टिगत हुई कि भूतपूर्व सरपंच/ पदाधिकारियों द्वारा नगद राशि अनियमित रूप से रखा जाना तथा वर्तमान सरपंच द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1993 के नियम 18 अनुसार नगद सिलक की निर्धारित सीमा रू 2,500.00 से अधिक रखा जाना पाया गया है । विभाग द्वारा वर्तमान तक 4337 ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण संपादित किया गया जिनमें से अर्थवर्ष 2009-10 तक 690 ग्राम पंचायतों के भूतपूर्व/ वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा अनियमित रूप से राशि रू 07,75,91,715.00 स्वयं के पास रखा जाना पाया गया इस प्रकार ं प्रभार हस्तांतरण में नगद राशि हस्तांतरित नहीं किये जाने एवं निर्धारित सीमा से अधिक नगद रखे जाने से दुर्विनियोजन की प्रबल संभावना होती है। इसमें पदाधिकारियों के नाम से विभिन्न कार्यो के संपादन हेतु लंबे समय से रखे गये अग्रिम की धनराशि भी सम्मिलित है। अन्य महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका क्र.	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि
1	ग्राम पंचायत खिसोरा जनपद पंचायत मगरलोड	2003-04 से 07-08	07	करों की बकाया	81154.00
2	ग्राम पंचायत करिहा जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर	2003-04 से 07-08	04	श्री शिवाराम जुर्री भूतपूर्व सरपंच / सचिव से राशि प्राप्त न होना	108885.00
3	ग्राम पंचायत बडकीमहरी (क्षे.का.कोरिया)	2003-04 से 07-08	-	सड़क निमार्ण योजना अधिक व्यय	249600.00
4	ग्राम पंचायत गोबरसिंहा (क्षे.का.कोरबा)	2006-07 से 07-08	07	नगद राशि प्रभार में न सौंपना	1812160.00
5	ग्राम पंचायत उमरिया (क्षे.का.राजनांदगाव)	2003-04 से 07-08	-	जनभागीदारी शिक्षकों की नियुक्ति पर पंचायत निधि से अनियमित भुगतान	48800.00
6	ग्राम पंचायत पलारी (क्षे.का.राजनांदगाव)	2003-04 से 07-08	-	निर्माण कार्य संबंधी अनियमितताएं	2473446.00
7.	ग्राम पंचायत रेड़ा जनपद पंचायत सक्ति	2004-05	-	बोधनलाल यादव पूर्व सरपंच द्वारा प्रभार न सौपना	124634.00

8.	ग्राम पंचायत केरा	2005-06 से 07-08	-	अनुदान प्राप्त से अधिक व्यय	580482.00
9.	ग्राम पंचायत चारपारा जनपद पंचायत बलौदा	2007-08	-	इंदिरा आवास निर्माण में अनियमित भुगतान	137500.00

17. राजस्व मांग वसूली :-

विभाग द्वारा प्रतिवेदनाधीन वर्ष 2009-10 में संपरीक्षित निकायों में करों एवं शुल्कों की मांग वसूली संतोषजनक नहीं पायी गयी। विभिन्न संपरीक्षित वर्षो तथा संस्थाओं में उपलब्ध जानकारी अनुसार वर्ष 2008-09 में रू. 44,56,14,289.00+19000 डालर तथा वर्ष 2009-10 में रू. 20,11,30,919.00 (दिनांक 31 दिसम्बर 2010 तक) वसूली हेतु शेष थी ।

18. अग्रिम :-

अ. वित्तीय वर्ष 2008-09 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रू. 35,43,89,862.00 का अग्रिम समायोजन/ वसूली हेतु थी ।

ब. वित्तीय वर्ष 2009-10 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रू. 10,24,66,294.00 समायोजन /वसूली हेतु शेष है ।

वित्तीय नियमों का समुचित पालन नहीं किये जाने से अग्रिमों का समायोजन होना नहीं पाया गया। विभिन्न निकायों कें विभिन्न वर्षो में अधिकारी/कर्मचारी/अन्य संस्थाओं की ओर समायोजन हेतु शेष अग्रिम के उदाहरण निम्नानुसार है :-

क्र	निकाय का नाम	वर्ष	समायोजन हेतु शेष राशि
1.	इंदिरा गांधी कृषि वि.वि. संबंद्ध इकाई कोरिया	2008.09	1000000.00
2.	नगर पालिका/नगर पंचायत/जनपद पंचायत/ जिला पंचायत/ग्राम पंचायत कोरबा	.	1462898.00
3.	जनपद पंचायत दरभा	2000.01 से 07.08	1795608.00
4.	नगर पालिका/नगर पंचायत राजनांदगांव	.	3462998.00
5.	जिला पंचायत/जनपद पंचायत रायपुर	.	5582258.00
6.	नगर पालिका परिषद मुंगेली	2005.06 से 07.08	3469000.00
7.	पं.सुंदर लाल शर्मा मुक्त वि.वि. बिलासपुर	2008.09	2121185.00

19. ऋण :-

अ. वित्तीय वर्ष 2008-09 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रू. 1,22,16,84,898.00 ऋण शेष थी ।

ब. वित्तीय वर्ष 2009-10 की स्थिति में (दिनांक 31 दिसम्बर 2009 तक) विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रू. 2,63,63,669.00 ऋण शेष है ।

20. अनुदान :-

वित्तीय वर्ष 2008-09 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों को शासन / विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्राप्त अनुदान में से कुल राशि रू. 6,55,29,11,434.00 अवशेष होना पाया गया । इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2009-10 (दिनांक 01.04.09 से 31.12.2009) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर को कुल राशि रू. 3,64,98,57,,839.00 का अनुदान अवशेष होना पाया गया।

21. निक्षेप :-

वित्तीय वर्ष 2008-09 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि रू. 67,10,73,393.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया एवं वित्तीय वर्ष 2009-10 (दिनांक 01.04.09 से 31.12.09) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि रू. 92,68,065.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया ।

भाग – दो

बजट :–

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा वर्ष 2009–10 के लिये राशि रू. 624.08 लाख आबंटित किया गया। आबंटित बजट में से दिनांक 31 दिसम्बर 2009 तक कुल राशि रू0 340.32 लाख व्यय हुआ है ।

भाग – तीन

1. निरीक्षण :–

संचालनालय के अधीन स्थानीय निकायों में पश्चातवर्ती संपरीक्षा दल के कार्यो का समय–समय पर सहायक संचालक द्वारा निरीक्षण पर्यवेक्षण की जाती है। इसके अतिरिक्त संचालक के निर्देशन में गठित निरीक्षण दल द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है ।

2. पर्यवेक्षण :–

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में विभिन्न स्तरीय निकायों की विभिन्न वर्षो की लेखाओं की संपरीक्षा की गई तथा जिसमें से अधिकांशत: निकायों का विभागीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण भी किया गया

3. अंकेक्षण के दौरान कटौती :–

स्थानीय निकायों में आवासीय संपरीक्षा के समय देयकों में अनियमितताओं एवं त्रुटियों के फलस्वरूप अंकेक्षण द्वारा विभिन्न देयकों से राशि रू. 21847.00 का कटौत्रा मान्य किये गये।

lpkyuky; lLFkkxr foRr

Hkkx&1

lpkyuky; d xBu dk mnn'; %&

छत्तीसगढ़ राज्य के बैंको के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, राज्य का वित्तीय एजेंसियों के साथ समन्वय तथा राज्य में संस्थागत वित्त का अधिकाधिक प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संस्थागत वित्त संचालनालय की स्थापना की गई है। तद्नुसार संचालनालय को निम्नांकित दायित्व सौंपे गये–

1. बैंकिग कार्यकलापों का विस्तार तथा बैंको को विकासमूलक कार्यक्रम के संपादन में आने वाली बाधाओं/समस्याओं का निराकरण करना।
2. बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं के योगदान से संबंधित राज्य और जिला स्तर समन्वय समितियों तथा सलाहकार समिति से जुडे कार्य।
3. जिला एवं राज्य स्तरीय ऋण योजना, ऋण देने की प्रणाली एवं गति में सुधार संबंधित कार्य।
4. वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण से संबंधित आंकड़ों का संधारण।
5. विदेशी सहायता प्राप्ति एवं तत्संबंधी परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन एवं अभिलेख इत्यादि का संधारण कार्य।
6. ब्रिस्क योजना का क्रियान्वयन।
7. भारत सरकार, राज्य शासन, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित योजनाओं तथा निर्देशावली के क्रियान्वयन।

राज्य शासन की विकास नीतियों का मूर्त रूप देने के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से भारत शासन के माध्यम से विदेशी सहायता भी प्राप्त की जाती है। चूंकि विदेशी सहायता की राशि भारत शासन के माध्यम से राज्य शासन की अतिरिक्त योजना संसाधन के रूप में प्राप्त होती है। संचालनालय का यह प्रयास रहा कि भारत सरकार को अधिक से अधिक विकास परियोजनाएं विदेशी सहायता हेतु प्रेषित की जाए, जिससे राज्य की विकास गति को अपेक्षा अनुसार वित्तीय समर्थन मिलता रहे। संचालनालय द्वारा ऐसी विदेशी संस्थाओं से सहायता ली जाती है, जिसका ऋण दर कम हो तथा अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त हो।

lpkyuky; dk Á'kklidh; <kpk&

उपरोक्त दायित्वों एवं कार्यो के संपादन एवं निर्वहन के लिये स्थापित संस्थागत वित्त संचालनालय के अधीन राज्य स्तर पर अमला स्वीकृत है पर कोई क्षेत्रीय अथवा मैदानी अमला नहीं हैं।

संचालनालय के अमले में निम्नलिखित सेटअप की स्वीकृति प्रदान की गई हैः–

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	01	–	01
2.	अतिरिक्त संचालक	37400–67000 Gr.Pay 8700	01	01	–
3.	संयुक्त संचालक	15600–39100 Gr.Pay 7600	01	01	–
4.	प्रोग्रामर सह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	15600–39100 Gr.Pay 7600	01	01	–
5.	सहायक सॉख्यिकी अधिकारी	9300–34800 Gr.Pay 4300	01	01	–
6.	स्टेनोग्राफर वर्ग–2	9300–34800 Gr.Pay 4300	01	01	–
7.	स्टेनोग्राफर वर्ग–3	5200–20200 Gr.Pay 2800	01	–	01
8.	लेखापाल	5200–20200 Gr.Pay 2400	01	01	–
9.	सहायक वर्ग–2	5200–20200 Gr.Pay 2400	01	–	01
10.	सहायक ग्रेड–ppp	5200–20200 Gr.Pay 1900	02	02	–
11.	ड्रायवर	5200–20200 Gr.Pay 1900	01	01	–
12.	भृत्य	4750–7440 Gr.Pay 1300	02	02	–
13.	फर्राश	कलेक्टर दर पर	01	–	01
14.	चौकीदार	कलेक्टर दर पर	01	–	01
	;kx&		**16**	**11**	**05**

भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्त अधिकारी, अपर संचालक के पद पर पदस्थ हैं तथा वर्तमान में संचालक के पद पर कार्यरत हैं। प्रोग्रामर सह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सहायक सॉख्यिकी अधिकारी, लेखापाल तथा भृत्य के पद संविदा नियुक्ति से भरे गये हैं।

Hkkx&2

<u>cTkV izko/kku ,oa O;;</u>

2052&lfpoky; lkekU; lsok;sa

¼091½&lc) dk;kZy;

4296&lpkyuky; lLFkkxr foRr

- foHkkxh; miyC/k ctV

¼31 fnlEcj 2009 dh fLFkfr esa½ ¼vkdMs gtkj :- esa½

dzekd	ctV 'kh"kZ	izkIr vkcaVu	O;;	'ks"k
01	osru HkRrs vkfn	23,25	17,70	5,55
02	etnwjh	1,50	0,80	0,70
03	;k=k HkRrk	5,40	3,55	1,85
04	dk;kZy; O;;	11,50	9,24	2,06
05	vuqj{k.k ij O;;	0,50	0,42	0,08
	;ksx	42,15	31,71	10,24

- ;kstuk;u deh'ku & jkT; lk>snkjh dk;Zdze vUrxZr miyC/k ctV

2052&lfpoky; lkekU; lsok;sa

¼091½&lc) dk;kZy;

6725&;kstuk;u deh'ku

¼31 fnlEcj 2009 dh fLFkfr esa½ ¼vkdMs gtkj :- esa½

dzekd	ctV 'kh"kZ	izkIr vkcaVu	O;;	'ks"k
01	osru HkRrs vkfn	08,57	02,95	05,62
02	dk;kZy; O;; lwpuk izkS|ksfxdh	140,00	82,20	57,80
03	lkf'k{k.k vf/kdkfj;ksa@deZpkfj;ksa dk izf'k{k.k	01,00	00,00	01,00
	;ksx	149,57	85,15	64,42

Hkkx&3

lpkyuky; d dk;Zdyki ,o xfrfof/k;k&

1. संचालनालय के सफल प्रयास से बैंकों के कार्यक्षमता में वृद्वि हुई है। बैंको को साख जमा अनुपात का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैचमार्च 60% के विरूद्ध मार्च 2009 में 57.99% हुआ है। राज्य में प्राथमिक क्षेत्रों में साख की दर भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैचमार्च 40% के विरूद्ध मार्च 2009 में 46.12% हो गया हैं। कृषि ऋण (अग्रिम) कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैचमार्च 18% के विरूद्ध मार्च 2009 मे 18.43% हुआ है। कृषि क्षेत्र में सीधा कुल अग्रिम मार्च 2008 में रूपया 4126.28 करोड के विरूद्व मार्च 2009 में रूपया 4248. 35 करोड हुआ है। यह वृद्वि 2.96% हैं। लघु उद्योग क्षेत्र में कुल अग्रिम की साख मार्च 2008 में रूपया 1858.86 करोड़ के विरूद्ध मार्च 2009 में रूपया 2711.52 करोड हुआ है, जो कि 45.87% अधिक है। कमजोर क्षेत्र को अग्रिम की कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैचमार्च 10% के विरूद्ध मार्च 2009 में 9.85% हुआ है।

2. अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत् प्रदेश के 18 जिले वाणिज्यिक बैंको के बीच बंटे हुंए है। अग्रणी बैंक का प्रमुख उत्तरदायित्व जिले की साख योजनाओं को तैयार कर कार्यान्वित करना एवं बैंक तथा जिला प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना है। जिला स्तर पर साख संबंधी योजना तैयार करने का कार्य को सुगम बनाने के लिये राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली शासकीय विभागों के साथ समन्वय कर आगामी वर्ष की साख योजना के लिये दस्तावेज तैयार करने का प्रयास किया जाता है। शासन प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति हेतु बैंकों के साथ अनुश्रवण कर वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाता है। राज्य निर्माण के बाद लगातार पांचवें वर्ष भी स्टेट क्रेडिट प्लान 2009–10 तैयार किया गया जिसमें योजनावार एवं जिलावार भौतिक, वित्तीय लक्ष्य एवं अनुदान की राशि का समावेश किया गया है।

3. **ik= cSdk dh lwph (Empanelment of Banks)** . वर्ष 2009–10 में राज्य शासन के अधीन निगमों/निकायों/मण्ड़लों की अतिरिक्त राशि को वाणिज्यिक बैंकों में जमा करने हेतु पारदर्शी एवं उद्देश्यपूर्ण मापदण्ड़ो के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वागीण विकास तथा शासन प्रायोजित योजनाओं में भागीदारी व सहयोग करने वाले पात्र बैंको की नवीन सूची तैयार की गई हैं । पात्र बैंकों की सूची में केवल वे बैंक ही सम्मिलित होंगे जिनका राज्य के विकास में वांछनीय योगदान रहा है।

Hkkx&4

cid olyh ikRlkgu ;ktuk idk"B ¼fcLd½ dk fdl;kUo;u %&

शासन प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत् व्यावसायिक बैंको एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा प्रदत्त ऋणों के अतिदेय राशियों की वसूली हेतु सहायता करने में राज्य शासन भरसक प्रयत्नशील हैं । इस दिशा में राज्य शासन वसूली हेतु अपने प्रशासनिक तंत्र (राजस्व अमला) की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। ब्रिस्क योजना के अंतर्गत् पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को रू. 12,83,629.00 बंटवारे में प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से दिसम्बर 2009 की स्थिति में रू. 19,49,023.00 विभिन्न जिलों के कलेक्टरों से प्राप्त हुए है।

Hkkx&5

lpkyuky; lLFkkxr foÙk] NÙkhlx<] jk;iqj e inLFk vey dh tkudkjh %&

Ø-	uke	inuke	fjekd
1.	श्री अमिताभ खण्डेलवाल	संचालक	
2.	श्री के.एल. रवि	संयुक्त संचालक	
3.	कु. प्रियंका कंसारी	प्रोग्रामर सह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	
4.	श्री आर.ए. दीवान	सहा. सांख्यिकी अधि.	
5.	श्री आर.सी. खरे	स्टेनोग्राफर वर्ग–2	
6.	श्री आर.सी. केशवानी	लेखापाल	
7.	श्री सत्यवीर सिंह राठौर	सहायक ग्रेड–3	
8.	श्री तेनसिंह विनायक	सहायक ग्रेड–3	
9.	श्री विजय कुमार मिश्रा	वाहन चालक	
10.	श्री बैशाखू राम कोराम	भृत्य	
11.	श्री भूषण लाल धर्मा	भृत्य	

संचालनालय अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज
आनंद नगर, रायपुर छत्तीसगढ़

भाग–एक

सामान्य जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य में वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज गठित है । विभाग का प्रमुख कार्य अल्प बचत योजनाओं को राज्य में बढ़ावा देना है । छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 18 जिले है, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा में वरिष्ठ जिला अल्प बचत अधिकारी तथा रायगढ़, सरगुजा, कोरिया, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव एवं बस्तर जिले में जिला अल्प बचत अधिकारी के कार्यालय है । जांजगीर–चांपा, जशपुर, कबीरधाम, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर एवं नारायणपुर में कार्यालय नहीं खुले है । नये जिले का कार्य पुराने जिले के अल्प बचत अधिकारी ही देख रहे हैं ।

अल्प बचत योजनाएं

1. किसान विकास पत्र
2. राष्ट्रीय बचत पत्र आठवां निर्गम
3. मासिक आय योजना
4. सावधि जमा योजना
5. डाकघर बचत खाता
6. पंच वर्षीय आवर्ती जमा योजना
7. वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना
8. लोक भविष्य निधि खाता

उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन एस.ए.एस.एजेन्ट एम.पी.के.बी.वाय. एजेन्टों की नियुक्ति एवं पी.पी.ए.एजेन्टों की नियुक्ति संबंधी कार्य संचालनालय की देखरेख में जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाता है ।

वार्षिक लक्ष्य

वर्ष 2009–10 का लक्ष्य 100.00 करोड़ शुद्ध संग्रहण

माह नवंबर 09 तक 44.75 करोड़

बजट – 73,50000.00

व्यय – 24,29279.00

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली कार्यालय का गठन छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 13 अगस्त, 2001 को किया गया । वित्त विभाग के अंतर्गत् गठित इस कार्यालय द्वारा राज्य शासन के वित्तीय प्रबंध एवं वित्तीय नियंत्रण से संबंधित सभी कार्य किये जाते हैं । वर्ष 2009-10 में कार्यालय की गतिविधियां निम्नानुसार रही -

वर्ष 2009-10 का बजट अनुमान तथा प्रथम अनुपूरक अनुमान संकलित कर निर्धारित रूप में तैयार कर विधानसभा में प्रस्तुत किया गया तथा द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2009-10 संकलित किया गया ।

संगठनात्मक ढांचा- संचालनालय कार्यालय के लिये निम्नलिखित पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है । सभी पद प्रतिनियुक्ति रक्षित है । संचालक के पद हेतु संयुक्त सचिव या उप-सचिव के समकक्ष अधिकारी जो भी संचालक, बजट होंगे, पदेन रूप से इस पद पर आसीन होंगे-

क	पद	श्रेणी/संवर्ग	पद संख्या	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
1	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा	पदेन	-	-
2	संयुक्त संचालक (राज्य वित्त सेवा)	प्रथम श्रेणी	01	15600-39100	7600
3	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	01	15600-39100	5400
4	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	01	9300-34800	4200
5	कनिष्ठ लेखाधिकारी	तृतीय श्रेणी	01	9300-34800	4200
6	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	2800
7	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	2800
8	सहायक ग्रेड-2	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	2400
9	कम्प्यूटर सहायक	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	2400
10	डाटा एन्ट्री आपरेटर	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	2200
11	सहायक ग्रेड-3	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	1900
12	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	1900
13	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	01	4750-7400	1400
14	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	02	4750-7400	1300

बजट आवंटन तथा व्यय (2009–10)
31 दिसंबर, 2009 की स्थिति में

(राशि हजार में)

क्रमांक	**मुख्य शीर्ष**	**योजना क्रमांक**	**योजना का नाम**	**बजट आवंटन**	**वास्तविक व्यय**
1	2052	4295	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	3929.70 (आयोजनेत्तर)	1889.83
2	2052	6725	यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	1800 (आयोजना)	निरंक

jkT; ;kstuk eMy dh izeq[k dk;Z ,oa xfrfof/k;k

राज्य योजना मण्डल के प्रमुख दायित्वों में प्रदे ा के लिए पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्शिक योजनाओं का निर्माण किया जाना है। राज्य योजना मण्डल द्वारा प्रदे ा की आव यकता तथा संसाधनों के अनुरूप पंचवर्शीय योजनाओं एवं वार्शिक योजनाओं की प्राथमिकतायें निर्धारित की जाती है। निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर संबंधित विभागों तथा योजनाओं हेतु रा ि ा प्रस्तावित की जाती है। योजना निर्माण में जनता की भगीदारी सुनि ि चत करने तथा स्थानीय स्तर पर योजना के निर्माण को बढावा देने हेतु राज्य योजना मण्डल द्वारा विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण के अंतर्गत जिला योजना का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना मण्डल द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (विधायक निधि) तथा जनसहभागिता योजना का संचालन किया जाता है।

1- X;kjgoh ipo"khZ; ;kstuk ¼2007&12½ :–

केन्द्रीय योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा विभिन्न विकास संकेतकों में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) की अवधि हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के लिए निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं:–

d- 1.	bdkbZ 2.	orZeku fLFkfr 3.	11oh ipo"khZ; ;kstuk dk y{; 4.
1	गरीबी में कमी 1. ग्रामीण 2. शहरी	 45% 7.23%	 23% 5%
2	शिशु मृत्यु दर (IMR)	61/1000	30/1000
3	मातृत्व मृत्यु दर (MMR)	379 2003 में	126
4	जन्म दर (TFR)	2.6	2.00
5	कुपोषण	55 1999 में	20
6	रक्ताल्पता	NA	27
7	लिंगानुपात	989	999
8	ड्राप आउट रेट	13.62	10
9	साक्षरता दर	65.18%	85%
10	समस्त घरेलू उत्पादन (GDP) 1. कृषि 2. उद्योग 3. सेवाएं योग		 2% 12% 7.6% 9%

विभिन्न विकास संकेतकों के अनुरूप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य की पंचवर्षीय योजना (2007–08 से 2011–12) के लिए रूपये 53730.00 करोड़ की योजना का अनुमोदन किया गया है।

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की ग्यारहवीं पंचवर्शीय योजना निम्नानुसार अनुमोदित की गई है।

X;kjgoh ipo"kh; ;ktuk ½2007&12½

¼djkM : i;s e½

d-	ie[k {k=d	dy ifj0;;	dy dk ifr'kr
1	कृशि एवं संबद्ध सेवायें	1,955.46	3.64
2.	ग्रामीण विकास	4,260.06	7.93
3.	वि ोश क्षेत्र कार्यक्रम	284.30	0.53
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	7,227.73	13.45
5.	ऊर्जा	1,805.37	3.36
6.	उद्योग तथा खनिकर्म	815.06	1.52
7.	यातायात	7,272.48	13.54
8.	विज्ञान प्रौद्योगिक एवं पर्यावरण	3,369.53	6.27
9.	सामान्य आर्थिक सेवायें	834.68	1.55
10.	सामाजिक सेवायें	25,568.96	47.59
11.	सामान्य सेवायें	336.36	0.63
	dy ;kx	**53]730-00**	**100-00**

ग्यारहवीं पंचवर्शीय योजना में मानव विकास संकेतकों में सुधार एवं सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक सेवाओं के विकास पर विशेश जोर दिया गया है। पंचवर्शीय योजना की 47.59 प्रतिशत रा ि सामाजिक सेवा पर व्यय किए जाने के प्रावधान का प्रस्ताव है। सामाजिक सेवाओं के प्रावधानों में मुख्यतः 10.14 प्रतिशत रा ि ि ाक्षा पर, 4.32 प्रति ात रा ि स्वास्थ्य सेवाओं पर तथा 14.61 प्रतिशत रा ि जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर व्यय किए जाने का प्रस्ताव है। राज्य में कृशि के विस्तार के लिए 13.45 प्रतिशत राशि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर तथा यातायात के साधनों के विकास हेतु 14.54 प्रति ात राशि सड़क सुविधाओं के विस्तार पर व्यय किए जाने का प्रस्ताव है।

2- NRrhlx< jkT; d okf'kd ;ktuk d foRrh; y{; ,o miyfC/k;k&

वर्श 2007–08 में अनुमोदित परिव्यय रूपये 7,413.72 करोड़ के विरूद्व रूपये 6,196.11 करोड़ का व्यय किया गया। ग्यारहवीं पंचवर्शीय योजना के अंतर्गत द्वितीय वर्श 2008–09 में योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा रूपये 9,599.00 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन किया गया था, जिसके विरूद्ध रूपये 8,137.37 करोड़ का व्यय किया गया। कृशि एवं सम्बद्ध सेवाओं पर रूपये 623.03 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के विरूद्ध रूपये 655.44 करोड़ का व्यय किया गया। ग्रामीण विकास पर रूपये 605.14 करोड़ के विरूद्ध रूपये

425.79 करोड़ का व्यय किया गया एवं सामाजिक सेवाओं पर अनुमोदित परिव्यय रूपये 4,682.09 करोड़ के विरूद्ध रूपये 4,034.58 करोड़ का व्यय किया गया।

वार्शिक योजना 2009–10 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा रूपये 10,947.02 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। कृशि एवं सम्बद्ध सेवाओं को रूपये 789.33 करो़ड़, ग्रामीण विकास हेतु रूपये 576.24 करोड़, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु रूपये 968.70 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुमोदित परिव्यय में सर्वाधिक 55-35% रािा रूपये 6,059.42 करोड़ का प्रावधान सामाजिक सेवाओं हेतु किया गया है।

Okkf’kd ;kstukvk dk vuqekfnr ifj0;; rFkk 0;;

¼yk[k :i;s e½

d-	ie[k {k=d	okf’kd ;kstuk 2007&08		okf’kd ;kstuk 2008&09		okf’kd ;kstuk 2009&10 vuqekfnr ifj0;;
		vuqekfnr ifj0;;	0;;	vuqekfnr ifj0;;	0;;	
1	2	3	4	5	6	7
1	कृशि एवं सम्बद्ध सेवायें	24,030.60	16,297.76	62,302.83	65,544.15	78,933.31
2	ग्रामीण विकास	45,313.72	35,630.39	60,514.00	42,578.91	57,624.65
3	वि ोश क्षेत्र कार्यक्रम	29,155.51	32,072.92	36,495.35	32,238.81	37,731.40
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	97,813.67	84,868.24	93,746.80	91,615.24	96,870.23
5	उर्जा	11,132.83	17,987.61	7,064.15	11,309.35	21,180.25
6	उद्योग तथा खनिकर्म	18,318.34	18495.02	20,464.20	11,814.25	22,055.47
7	यातायात	1,34,366.96	1,02,995.14	1,44,243.88	1,00,352.54	1,11,489.53
8	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	18,815.83	19,419.06	34,864.75	23,894.08	28,501.30
9	सामान्य आर्थिक सेवायें	25,263.22	48,497.20	24,061.71	23,288.40	25,043.21
10	समाजिक सेवायें	3,26,132.23	2,39,109.69	4,68,209.93	4,03,458.22	6,05,941.95
11	सामान्य सेवायें	11,029.03	4,238.00	7,932.40	7,643.06	9,331.46
	;kx	**7]41]371-94**	**6]19]611-03**	**9,59,900.00**	**8,13,737.01**	**10,94,702.76**

3- ftyk okf’kd ;ktuk

भारत के संविधान के 73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है जिसमें उसे विकेन्द्रीकृत नियोजन अपनाने का विस्तृत आधार प्रदान किया गया है। योजना आयोग भारत सरकार के निर्देशानुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिला वार्षिक योजनाएं जिला योजना समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायो की सक्रिय भागीदारी से बनाई जा रही हैं, जो राज्य वार्षिक आयोजनाओं को तैयार करने में सहायक होती हैं।

11वीं पंचवर्शीय योजना के दौरान वर्श 2009–10 हेतु 8 जिलों से जिला योजना समिति के अनुमोदन उपरांत जिला योजना बनकर प्राप्त हुई थी तथा वर्श 2010–11 के लिए सभी 18 जिलों से जिला योजना समिति के अनुमोदन उपरांत जिला योजनाएं राज्य योजना मण्डल को प्राप्त हो गई हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

foRrh; o"k 2009&10 ,o 2010&11

¼jkf'k :Ik;s yk[k e½

l- d-	ftyk dk uke	ftyk ;ktuk o"k 2009&10	iLrkfor ftyk ;ktuk o"k 2010&11
1	2	3	4
1	सरगुजा	अप्राप्त	71,710.92
2	जशपुर	26,210.49	46,687.35
3	कोरिया	अप्राप्त	4,956.89
4	बस्तर	अप्राप्त	1,00,354.94
5	दंतेवाड़ा	अप्राप्त	24,857.87
6	बीजापुर	अप्राप्त	9,861.93
7	नारायणपुर	अप्राप्त	14,055.45
8	कांकेर	अप्राप्त	48,499.88
9	रायपुर	अप्राप्त	30,845.34
10	महासमुंद	अप्राप्त	56,753.64
11	धमतरी	39,876.16	51,211.09
12	दुर्ग	अप्राप्त	1,05,788.15
13	राजनांदगांव	80,619.96	97,777.19
14	कबीरधाम	34,375.35	18,061.72
15	बिलासपुर	78,107.65	1,10,802.01
16	जांजगीर–चाम्पा	39,186.92	29,495.63
17	कोरबा	51,579.56	51,192.71
18	रायगढ़	54,583.44	91,464.76

भारत सरकार, राज्य सरकार एवं संयुक्त राश्ट संघ की संस्थाओं के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध के अनुरूप राज्य के पांच जिलों यथा महासमुंद, कांकेर, कोरबा, सरगुजा एवं ज ापुर में विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण में सहयोग देने के लिए UN-GoI Convergence Program चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत यूनिसेफ तथा यू.एन.डी.पी. द्वारा एक–एक तकनीकी सहायक पांचों जिलों में उपलब्ध कराये गये हैं।

Hkkx &nks

NRrhlx< jkT; ;kstuk e.My dk ctVh; iLrko 2009&10

¼jkf'k yk[k :i;s esa½

Ø-	;kstuk 'kh"kZ ,oa Øekad	LohÑr ctV o"kZ 2009&10	31 fnlEcj] 2009 rd okLrfod 0;;
1	2	3	4
¼d½ vk;kstukRrj			
1- ekax la[;k&31] eq[; y[kk 'kh"kZ&3451			
	राज्य योजना मण्डल	99.31	60.82
	यूरोपियन कमी ान	1.00	0.45
	;ksx %&	**100-31**	**61-27**
¼[k½ vk;kstuk			
2- Ekkax la[;k&41 eq[; y[kk "kh'kZ&4515			
	जनसहभागिता योजना	342.00	159.82
	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	1450.00	494.05
	;ksx %&	**1792-00**	**653-87**
3- ekax la[;k&60 eq[; y[kk "kh'kZ& 3451			
	जिला योजना का सुद्ढीकरण	78.00	6.21
		78-00	**6-21**
4- Ekkax la[;k&60 eq[; y[kk "kh'kZ&4515			
	जनसहभागिता योजना	450.00	131.17
	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	2600.00	509.41
	;ksx %&	**3050-00**	**640-58**
5- Ekkax la[;k&64 eq[; y[kk "kh'kZ&4515			
	जनसहभागिता योजना	110.00	47.70
	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	500.00	170.18
	;ksx %&	**610-00**	**217-88**
	dqy ;ksx %& (2+ 3+ 4+5)	**5530-00**	**1518-54**
	egk;ksx %&(1+2+ 3+4+5)	**5630-31**	**1579-81**

Hkkx &rhu
jkT; ;kstuk,a rFkk dsUnz iofrZr ;kstuk

¼v½ jkT; ;kstuk,a

1- fo/kkulHkk fuokZpu {ks= fodkl ;kstuk %&

वर्श 2004–05 से सम्पूर्ण राज्य में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (विधायक निधि) लागू है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में रू0 35.00 लाख मान0 विधायक महोदय की अनु ंसा पर तथा 15.00 लाख मान0 प्रभारी मंत्री जी की अनु ंसा पर व्यय किये जाते हैं। मान0 विधायक महोदय तथा प्रभारी मंत्री की अनु ंसा प चात् विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत करवाये जाने वाले कार्यों हेतु, मार्गद िका के अनुरूप उस जिले के कलेक्टर द्वारा स्वीकृति जारी की जाती है।

इस योजनांतर्गत माह दिसम्बर, 2009 की स्थिति में वर्शवार जारी आबंटन तथा स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

(कार्य संख्या में, रा ि लाख में)

o"kZ	vkoaVu	LohÑr dk;Z	iw.kZ dk;Z	izxfr ij	vizkjaHk
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
2004–05	2,730.00	2,953	2,942	8	3
2005–06	3,654.53	3,569	3,540	25	4
2006–07	4,553.80	3,975	3,865	99	11
2007–08	4,551.50	4,230	3,593	606	31
2008–09	4,560.66	3,659	2,166	1,295	198
2009–10	4,550.00	1,061	129	376	556
;ksx %&	**24]600-49**	**19]447**	**16]235**	**2]409**	**803**

2- tulgHkkfxrk ;kstuk %&

राज्य के विकास के लिए विभिन्न विभागों द्वारा विकास योजनाएं क्रियान्वित की जाती है। राज्य ाासन द्वारा अपने सीमित वित्तीय साधनों से प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य कराये जाते हैं, जिससे समस्त जनआकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती, साथ ही राज्य ाासन के विकास कार्यों के रख–रखाव की ओर जनता अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं समझती है। अतः विकास कार्यों में जनभागीदारी सुनि चत करने के उद्दे य से छत्तीसगढ़ जनसहभागिता नियम– 2001 बनाया गया है।

इस योजना के अंतर्गत यदि किसी क्षेत्र की जनता मानव श्रम अथवा रा ि के रूप में निर्माण कार्यों में सहयोग देना चाहती हैं तो उस क्षेत्र में निर्माण कार्यों को स्वीकृत किया जाता है। इसके लिए क्षेत्र के लोग प्रस्ताव स्थानीय संस्था को देते हैं। स्थानीय संस्था प्राप्त प्रस्ताव को कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को भेजती है, जहॉ से इन कार्यों की स्वीकृति जारी होती है। इस योजना के अंतर्गत सामान्य

क्षेत्र में निर्माण कार्य की कुल लागत का 50 प्रति ात तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में 25 प्रति ात राशि जनभागीदारी के रूप में रहती है।

योजनांतर्गत मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों के स्थानीय मूलभूत सेवाओं से संबंधित जनोपयोगी विकास कार्य किये जाते हैं।

जनसहभागिता योजनांतर्गत निर्माण कार्य पंचायत/नगरीय निकायों अथवा जिले के कलेक्टर द्वारा नियुक्त निर्माण समिति द्वारा किया जाता है। निर्माण समिति में जनसहयोग देने वाले लोगों के दो प्रतिनिधि तथा संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय का एक प्रतिनिधि होता है।

यह योजना वर्ष 2002—03 से राज्य योजना मण्डल के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2009 की स्थिति में वर्षवार जारी आबंटन तथा स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :—

(कार्य संख्या में, रा ि लाख रू0में)

o"k	vkcVu	LohÑr dk;	i.k dk;	ixfr ij	vikjHk
1	2	3	4	5	6
2002—03	800.00	468	468	0	0
02003—04	800.00	459	459	0	0
2004—05	800.00	378	375	3	0
2005—06	800.00	436	434	2	0
2006—07	858.00	448	441	7	0
2007—08	858.00	381	366	15	0
2008—09	858.00	328	246	77	5
2009—10	902.00	183	37	106	40
;kx %&	**6]676-00**	**3]081**	**2]826**	**210**	**45**

Hkkx &pkj

सामान्य प्रशासनिक विषय – निरंक

Hkkx &ikp

vfHkuo ;kstuk %&

1. योजना आयोग भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार वर्ष 2009–10 के लिये से सभी 18 जिलों में से 9 जिलों हेतु जिला योजना समिति के प्राथमिकता के अनुरूप जिला योजना का निर्माण किया गया। वर्ष 2009–10 में जिला योजना के निर्माण हेतु रू. 78.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

Hkkx &N%

izdk'ku %&

वार्षिक योजना 2009–10 का प्रस्ताव योजना आयोग भारत सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु वार्षिक योजना के भाग–1 एवं भाग–2 का प्रकाशन किया गया है।

Hkkx &lkr

lkjka'k %&

राज्य योजना मण्डल का प्रमुख दायित्व विभिन्न विकास विभागों के प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रदे ा की वार्शिक तथा पंचवर्शीय योजनाएॅ तैयार कर योजना आयोग, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना है। वार्शिक योजना 2009–10 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार व्दारा रू0 10,947.02 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

ifjf'k"V&,d ¼1½

jkT; ;kstuk e.My e LohÑr ,oa Hkjs inksa dh fLFkfr

¼tuojh] 2010 dh fLFkfr e½

Ø-	LohÑr inuke	J.kh	LohÑr in l[;k	Hkjs gq, in	fjDr in	fjekd
1	2	3	4	5	6	7
1.	सदस्य सचिव	प्रथम	01	—	01	—
2.	विशेष सचिव / उपसचिव	प्रथम	01	01	—	प्रतिनियुक्ति
3.	संयुक्त संचालक	प्रथम	02	01	01	प्रतिनियुक्ति
4.	अवर सचिव	प्रथम	01	01	—	प्रतिनियुक्ति
5.	सहायक संचालक	द्वितीय	02	01	01	प्रतिनियुक्ति
6.	लेखाअधिकारी	द्वितीय	01	—	01	—
7.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–1	द्वितीय	01	—	01	—
8.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय	04	03	01	प्रतिनियुक्ति
9.	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय	01	—	01	—
10	अन्वेषक	तृतीय	04	03	01	—
11	संगणक / डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	तृतीय	04	03	01	—
12	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	तृतीय	02	02	—	—
13	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	तृतीय	02	01	01	—
14	सहायक ग्रेड–1	तृतीय	01	—	01	—
15	लेखापाल	तृतीय	02	01	01	—
16	सहायक ग्रेड–2	तृतीय	02	02	—	—
17	सहायक ग्रेड–3	तृतीय	02	—	02	—
18	वाहन चालक वरिष्ठ	तृतीय	01	01	—	—
19	वाहन चालक कनिष्ठ	चतुर्थ	02	02	—	—
20	दफ्तरी	चतुर्थ	01	01	—	—
21	भृत्य	चतुर्थ	06	05	01	—
22	चौकीदार	चतुर्थ	02	02	—	—
23	वाटरमेन	चतुर्थ	01	01	—	—
24	फर्राश	चतुर्थ	01	01	—	—
;kx			**47**	**32**	**15**	

vkfFkd ,o lkf[;dh lpkyuky;

Hkkx&1

foHkkxh; lajpuk

राज्य की सामाजार्थिक गतिविधियों में समन्यव, क्षेत्र सर्वेक्षण तथा विविधि विषयों पर सांख्यिकी के एकत्रीकरण, सारणीयन एवं संकलित जानकारी के प्रस्तुतीकरण कार्यों को संपादित करने हेतु राज्य, जिला एवं जनपद मुख्यालय पर विभिन्न संवर्गों के अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ है । वर्तमान में स्वीकृत एवं कार्यरत अमले का विवरण परिशिष्ट–1 में दर्शाया गया है ।

v/khuLFk dk;kZy;

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, के अधीनस्थ जिला स्तर पर प्रदेश के 18 जिलों में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय स्थापित है । संचालनालय में प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों के निष्पादन हेतु 12 संभाग है जिनका विवरण परिशिष्ट–2 में दर्शाया गया है ।

lapkyuky; ds nkf;Ro

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास, प्रशासन एवं विकास से संबंधित आधारभूत सांख्यिकी का संकलन, सर्वेक्षण, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा उन्हें प्रकाशित कर सामाजार्थिक स्थिति का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रांकन करने एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण दायित्व इस संचालनालय का है । राज्य शासन द्वारा संचालनालय को इस हेतु नोडल अभिकरण घोषित किया गया है ।

lapkyuky; ds izeq[k dk;Z
1- lkekU; tkudkjh

1-1 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के विन्यास हेतु विकास कार्यक्रमों एवं प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन एवं विश्लेषण कार्य संपादित किया जाता है, साथ ही राज्य की सामाजार्थिक स्थिति का आंकलन नियमित रूप से करने के अलावा राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अपेक्षित सर्वेक्षण/मूल्यांकन अध्ययनों का निष्पादन दायित्व भी संचालनालय का है ।

1-2 प्रचलित अधिनियम तथा नियम निम्नानुसार है :–

(अ) औद्योगिक सांख्यिकी (कारखाना अधिनियम, 1948) तथा सांख्यिकी अधिनियम, 1953
(ब) जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969
(स) छत्तीसगढ. राज्य जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001

1-3 संचालनालय अपने तकनीकी कार्यों के संपादन हेतु राष्ट्रीय नीति का पूर्णतः अनुशरण करता है । इसके अंतर्गत भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय न्यादर्श संगठन, महारजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु पंजीयन एवं योजना आयोग के अनुदेशों तथा
निर्देशों के अनुरूप उपयोगी सांख्यिकी का निर्धारित प्रारूपों में संकलन, संधारण तथा विभिन्न प्रकाशनों का रूप दिया जाता है । राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण अनुसूचियों द्वारा ही संचालनालय से सर्वेक्षण संपादित कर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है ।

1-4 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के मार्गदर्शन में राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार किये जाते है ।

1-5 संचालनालय की सांख्यिकी गतिविधियों का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय नीतियों के परिपेक्ष्य में राज्य के सांख्यिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण कर प्रशासन, योजनाविद् तथा शोधकर्ताओं को उपयोगी सांख्यिकी उपलब्ध कराना है ।

2 ie[k xfrfof/k;k

2-1 jkT; dh vFkZ0;oLFkk lc/kh idk'ku

राज्य की सामाजिक स्थिति तथा उसे प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों एवं नीतियों का वार्षिक विश्लेषणात्मक अध्ययन छत्तीसगढ. का **vkfFkd lo{k.k** के रूप में प्रकाशित किया जाता है । प्रकाशन के अंतर्गत प्रमुख रूप से राज्यीय आय, कृषि उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य विकास, वानिकी, जलसंसाधन, उर्जा, उद्योग, खनिज, परिवहन, श्रम एवं रोजगार, सहकारिता एवं बैंकिंग तथा सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विभागों की विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध करायी जाती है । पूर्व विधानसभा के बजट सत्र में यह प्रकाशन माननीय विधायकों को उपलब्ध कराया गया ।

2-2 jkT; ?kjsyw mRikn

राज्य की अर्थ व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का आकलन करने के लिए भारत शासन के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) तैयार किये जाते है । इन अनुमानों को भी प्रतिवर्ष विधान सभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाता है

2-3 ctV fo'ys"k.k

राज्य के वार्षिक बजट का आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण भी संचालनालय द्वारा किया जाता है जो राज्य की प्राथमिकताओं का सूचक है । संचालनालय द्वारा वर्ष 2009–10 की अवधि में राज्य बजट का आर्थिक उद्देश्वार वर्गीकरण 2006–07(लेखा), 2007–08 (पु.अ.) एवं 2008–09(आ.अ.) नामक प्रकाशन तैयार किया गया ।

2-4 lo{k.k dk;Z

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के निर्देशानुसार वर्ष 2009–10रा.न्या.स. के 66वें दौर में रोजगार एवं बेरोजगारी एवं उपभोक्ता व्यय विषय पर निर्धारित प्रपत्रों पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य संचालनालय के निर्देशन में जुलाई, 2009 से प्रारंभ कर जून, 2010 तक पूर्ण किया जावेगा । 66 वें दौर में 188 ग्रामीण तथा 92 नगर खण्डों में सर्वेक्षण कार्य आवंटित किया गया है । माह दिसम्बर, 2009 तक 86 ग्रामीण तथा 38 नगरीय न्यादर्शों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर शेष न्यादर्शों का सर्वेक्षण कार्य जून, 2010 तक पूर्ण कर लिया जावेगा ।

वर्ष 2008–09 में पिछले 57 वें से 59 वें एवं 61 वें से 63 वें दौर के सर्वेक्षित न्यादर्शों के डाटा एन्ट्री, वेरीफिकेशन एवं वेलिडेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, तथा वर्ष 2009–10 की अवधि में 64 वें दौर के 240 न्यादर्शो की एवं 65 वें दौर के 180 न्यादर्शो की डाटा एन्ट्री एवं वेरीफिकेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । वर्तमान में 62 वें दौर के न्यादर्शों के एरर सुधार कार्य का प्रथम चरण पूर्ण कर लिया गया है । द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है ।

2-5 tUe&eR;| i|th;u dk;|

भारत सरकार के **tUe&eR;| jftLVªhdj.k vf/kfu;e] 1969** का कार्यान्वयन राज्य में **NRrhlx<+ tUe&eR;| jftLVªhdj.k fu;e] 2001** बनाया गया है। स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव / कर्मी को उप रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) अधिसूचित किया गया है । ग्रामीण क्षेत्र में जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिए यह व्यवस्था 01 जनवरी, 2008 से प्रांरभ किया गया है । इससे पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में यह कार्य प्रभारी पुलिस थाना द्वारा किया जाता था । इस व्यवस्था के फलस्वरूप जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का कार्य में पर्याप्त सुधार होने की संभावना है । राज्य के नगरीय क्षेत्र में जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का कार्य पूर्ववत स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा किया जा रहा है।

जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था हेतु राज्य शासन द्वारा की गई प्रशासनिक व्यवस्था के फलस्वरूप संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी, छत्तीसगढ को मृख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु), आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के उप–संचालक, जीवनांक को उपरजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) अधिसूचित किया गया है । जिला स्तर पर जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य को सूचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित् करने के दृष्टि से जिला कलेक्टर को अतिरिक्त मुख्य राजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी को जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) अधिसूचित किये गये है ।

2-6 miHkksDrk eY; lwpdkad

औद्योगिक कामगारों के लिए खाद्य एवं सामान्य समूह से संबद्ध मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित मूल्य संकलन का कार्य विभागीय तकनीकी अधिकारियों द्वारा किया जाकर पत्रक मूलतः लेवर ब्यूरो शिमला संप्रेषित किये जाते है । लेवर व्यूरो शिमला द्वारा भिलाई केन्द्र के लिये मासिक एवं वार्षिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार कर जारी किये जाते है ।

2-7 okf"kZd dk;Zdyki

¼v½ o"kZ 2008&2009 esa izdkf'kr izdk'ku

1. छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण –2008–09
2. छत्तीसगढ़ आय व्ययक संक्षेप –2008–09
3. छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विपणन– 2007–08
4. छत्तीसगढ़ प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन – 31 मार्च 2008
5. Soci0- Economic Profile of Chhattisgarh State -2008
6. Economic and Purpose Classification of State Government Budget of Chhattisgarh 2006-07(A/C), 2007-08 (R.E.) & 2008-09 (B.E.)
7. Gross Fixed Capital Formation by State Govt. Administrative Department of Chhattisgarh 2000-01To 2006-07
8. Gross Fixed Capital Formation By State Govt. Departmental Commercial Undertakings and Non- Departmental Commercial Undertakings of Chhattisgarh 2001-02 to 2006-07

¼c½ भारत सरकार केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय लेखा प्रभाग नई दिल्ली के निर्देशानुसार अलाभकारी पंजीकृत संस्थाओं (लगभग 35 हजार) के सर्वेक्षण हेतु पंजीयक कार्यालयों से आवश्यक अभिलेखों का प्रथम चरण कम्प्यूटराईजेशन कार्य पूर्ण किया गया तथा द्वितीय चरण के भौतिक सत्यापन हेतु निविदा आमंत्रित की गई है ।

¼l½ सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत दिसम्बर,1993 प्रारंभ अवधि से सितंबर, 2009 तक 433.30 करोड़ रूपये की राशि जिलों को उपलब्ध हुई जिसमें 423.06 करोड़ रूपये की लागत के 30840 कार्य स्वीकृति किये गये । पूर्ण कार्यों का प्रतिशत 94.14 तथा वित्तीय उपलब्धियॉ 94.85 प्रतिशत रही है ।

¼n½ बीस सूत्रीय कार्यक्रम का मासिक प्रबोधन पत्रक माह अक्टूबर, 2009 केन्द्र शासन को प्रस्तुत किया गया है ।

¼;½ कार्यकुशलता विकास हेतु संचालनालय के अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न तकनीकी प्रशिक्षणों पर भेजा जाता है । वर्ष 2009–10 की अवधि में निम्न विषयों पर उनके समक्ष उल्लेखित अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण पर भेजा गया है ।

Ø-	izf'k{k.k fo"k;	izf'k{k.k vof/k	izf'kf{kr vf/kdkjh@deZpkfj;ksa dh la[;k
1.	विभागीय कार्यवाही	16–17 फरवरी ,2009	01
2.	न्यायलयीन प्रक्रिया	16–20 फरवरी, 2009	01
3.	श्रम सांख्यिकी में सुधार–	16–17 फरवरी, 2009	26
4.	स्थानीय निकायों के लेखाओं का समेकन कार्यशाला	04–06 मार्च, 2009	05
5.	राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के 66वें दौर का अखिल भारतीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	08–09 अपैल, 2009	03
6.	स्थानीय स्तर विकास से संबंधित मूलभूत सॉख्यिकी अभिलेखन	13 जून, 2009	30
7.	शासकीय सेवा, क्रार्मिक प्रबंधन	29 जून,से 03 जुलाई, 2009	01
8.	Of Financial and Contingency Expenditure Rules	02–04 जुलाई, 2009	01
9.	राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के 66वें दौर का प्रशिक्षण	09–10 जुलाई, 2009	24
10.	आफिस प्रोसीजर एंड सर्विस रूल्स	07–11 सितम्बर, 2009	02
11.	राज्य/जिला आय एवं अन्य समारोह पर कार्यशाला	07–11 सितम्बर, 2009	05
12.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने की कार्यप्रणाली (श्रम ब्यूरो शिमला)	10–14 सितम्बर, 2009	02
13	आडिट एवं बजट	14–16 सितम्बर, 2009	02
14.	Orientation Programme in School Education Statistics	22–29 सितम्बर, 2009	01
15.	लेपटॉप एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण	सितंबर,अक्टूबर,नवंबर,2009 (5 दिवस)	61
16.	सूचना का अधिकार	12–13 अक्टूबर, 2009	02
17.	शासकीय सेवा, क्रार्मिक प्रबंधन	03–07 नवम्बर, 2009	04
18.	कार्यालय प्रबंधन	09–13 नवम्बर, 2009	02

19.	कोर्ट प्रोसीजर	16–20 नवम्बर, 2009	02
20.	Motivation & Productivity in Govt.	23–25 नवम्बर, 2009	02
21.	Workshop on 'Manual for Forest Resouree Valuation and Accounting for Sustainable Forest Management'	25–26 नवम्बर, 2009	01
22.	आडिट एवं बजट	02–04 दिसम्बर, 2009	02

Hkkx&2

ctV fogxkoykdu %&

संचालनालय को आलोच्य वर्ष 2009–10 में राज्यीय सांख्यिकी गतिविधियॉ के संचालन हेतु गैर योजनान्तर्गत निम्नवत आवंटन प्राप्त हुआ है ।

(लाख रूपये में)

ctV en fooj.k	o"k 2009&10 okLrfod 0;; ¼fl r- 2009½
1	2
vk;ktuRrj	
1. राज्य सांख्यिकी संस्थान	298.67
2. जन्म–मृत्यु आंकड़ों का संकलन	33.11
3. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	26.48
;kx	358-26

Hkkx&3

संचालनालय द्वारा वर्तमान में निम्नबत राज्य/केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्र क्षेत्रीय एवं विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ संचालित की जा रही है ।

;kstuk fooj.k	o"k 2009&10 okLrfod 0;; ¼fl r- 2009½
1	2
jkT;&vk;kstuk	
6562 जन्म–मृत्यु अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन	0.00
6564 सांख्यिकी कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	0.17
6293 सांख्यिकी अमले का प्रशिक्षण	0.59
dUnz izofrZr ;kstuk	
5501 जन्म–मृत्यु सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	0.00
dUnz {ks=h; ;kstuk	
5537 eR;q lkf[;dh dk fo'y"k.k	0.00
fons'kh lgk;rk izkIr ifj;kstuk	
6725 यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान	1.67

;kx	2-43

Hkkx&4

lkekU; iz'kklfud fo"k;

निरंक

Hkkx&5

vfHkuo ;kstuk,¡

निरंक

Hkkx&6

प्रकाशन

आलोच्य अवधि में प्रकाशित प्रकाशनों का परिचयात्मक विवरण निम्नानुसार है :—

1- vkfFkZd losZ{k.k o"kZ& 2008&09

प्रस्तुत वार्षिक प्रकाशन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र विकास, जल संसाधन, परिवहन संसाधन, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी विकास के साथ ही सामाजिक विषयों से संबद्ध क्षेत्रों में अभिज्ञापित उपलब्धियों का उल्लेख राज्य के संदर्भ में किया गया है । यह प्रकाशन गत विधान सभा के बजट सत्र (फरवरी 2008) में माननीय विधायकों को वितरित किया गया है ।

2- vk; O;;d l{ksi& 2009&10

प्रकाशित प्रकाशन में राज्य शासन द्वारा आलोच्य अवधि के लिये प्रस्तावित आयोजना एवं गैर आयोजनेत्तर व्यय तथा उसके सापेक्ष में अनुमानित आय का विवरण तैयार कर वित्त विभाग को प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा यह प्रकाशन वार्षिक बजट के साथ विधानसभा में वितरित किया गया ।

3- lkekftd vkfFkZd foojf.kdk& 2008

उक्त प्रकाशन में प्रशासनिक, कृषि, ग्रामीण विकास, जल, परिवहन, पर्यावरण एवं सामाजिक अवयवों से संबंधित सूक्ष्म समंक एवं संकेतक राज्य के संदर्भ में तथा जनगणना 2001 के आधार पर ऑकडे प्रस्तुत किये जाते है, जिससे राज्य की विकास अवधारणा का प्रबोधन संक्षेपतः किया जा सके । प्रस्तुत प्रकाशन संवाद संस्थान को प्रकाशन हेतु भेजा गया ।

4- jkT; esa d`f"k foi.ku& 2007&08

राज्य की मण्डियों एवं उप मण्डियों में कृषि उत्पादों की आवक एवं उसकी विपणन से संबद्ध वार्षिक जानकारी इस प्रकाशन में प्रकाशित की गई, जो राज्य की कृषि विपणन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का द्योतक है । प्रकाशन मार्च, 2009 में प्रकाशित किया गया है ।

5- jkT; ctV dk vkfFkZd mn~ns'okj oxhZdj.k&o"kZ 2006—07(लेखा), 2007—08 (पु.अ.) एवं 2008—09(आ.अ.)— प्रस्तुत प्रकाशन में उद्देश्य के अनुसार किये गये वित्तीय प्रावधान एवं उसके सापेक्ष्य में परिव्यय का उल्लेख किया जाता है ।

6- iz'kklfud {ks= esa fu;kstu& 31 ekpZ 2008

राज्य शासन द्वारा राज्य की प्रशासनिक इकाईयों को 18 भागों में विभक्त किया गया है । इसी आधार पर राज्य शासन के विभागानुसार पदस्थ पुरूष एवं महिला कर्मियों को उनकी सेवा श्रेणी एवं प्राप्त वेतनमान अनुसार प्रदर्शित किया गया है । उक्त प्रकाशन में पंचायत स्तरीय प्रणाली, विकास प्राधिकरणों एवं विश्व विद्यालयों के अंतर्गत पदस्थ
अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी उनके सेवा श्रेणी एवं वेतनमान अनुसार वर्गीकृत किया गया है । उक्त प्रकाशन संवाद संस्थान को प्रकाशन हेतु भेजा गया ।

Hkkx&7 lkjka'k& निरंक

ifjf'k"V &,d

e[;ky; ,o v/khuLFk dk;kZy;] d Hkj ,o LohÑr ink dh tkudkjh

							¼31&12&2009 dh fLFkfr e½
क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे हुए पद		
		मुख्यालय	जिला	**;kx**	मुख्यालय	जिला	**;kx**
	iFke Js.kh						
1	संचालक	1	0	**1**	1	0	**1**
2	संयुक्त संचालक	3	0	**3**	3	0	**3**
3	उपसंचालक	3	4	**7**	3	3	**6**
	f}rh; Js.kh						
4	सहायक संचालक/जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	13	18	**31**	07	10	**17**
5	प्रोग्रामर	1	0	**1**	0	0	**0**
	r`rh; Js.kh						
6	सहायक संख्यिकी अधिकारी	36	104	**140**	25	55	**80**
7	अन्वेषक/ खण्ड स्तर अन्वेषक	14	165	**179**	6	54	**60**
8	संगणक/कम्प्यूटर/ डाटा एण्ट्री आपरेटर	6	18	**24**	02	09	**11**
9	अधीक्षक	01	0	**01**	0	01	**01**
10	सहायक ग्रेड–1	04	7	**11**	01	0	**01**
11	सहायक ग्रेड–2	05	18	**23**	5	11	**16**
12	सहायक ग्रेड–3	20	25	**45**	8	19	**27**
13	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	0	**01**	0	0	**0**
14	शीघ्रलेखक/ स्टेनोटायपिस्ट	04	18	**22**	01	0	**01**
15	आशुलिपिक ग्रेड–02	01	0	**01**	0	0	**0**
16	आशुलिपिक ग्रे–03	01	0	**01**	0	0	**0**
17	के.पी.ओ.	02	0	**02**	0	0	**0**
18	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	01	0	**01**	0	0	**0**
19	वाहन चालक	01	7	**8**	01	6	**07**
20	वाहन चालक (आक.स्थापना)	03	11	**14**	03	0	**03**
	prqFkZ Js.kh						
21	जमादार	1	0	**01**	0	0	**0**
22	भृत्य	15	34	**49**	13	29	**42**
23	चौकीदार	02	0	**2**	01	0	**01**
24	वाटरमेन/फर्राश/ (कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर)	05	18	**23**	02	09	**11**
	;kx	**144**	**447**	**591**	**83**	**205**	**288**

ifjf'k"V&nk

lpkyuky; d lHkkx ,o fu"ikfnr dk;fooj.k

1- i'kklu	1. प्रशासन, स्थापना, लेखा एवं लेखा परीक्षण
2- jk"Vh; vk;] ykd foRr ,o ctV fo'y"k.k	1. राज्य / जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान 2. राज्य एवं स्थानीय संस्थाओं के आय व्ययक का आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण 3. लोक वित्त तथा स्थानीय संस्थाओं की सांख्यिकी का संकलन एवं संधारण
3- vk|kfxd] [kfut ,o ith fuek.k	1. औद्योगिक, खनिज एवं उर्जा सांख्यिकी 2. पूंजी निर्माण के अनुमान 3. सार्वजनिक क्षेत्रों का लेखा विश्लेषण 4. कृषि, वित्तीय एवं व्यापारिक सांख्यिकी– अनुसंधान विश्लेषण
4- eY; lkf[;dh ,o ckTkj lekpkj	1. थोक / फूटकर मूल्यों का संकलन / समीक्षा 2. गृह एवं भवन निर्माण सांख्यिकी 3. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण, औद्योगिक सामाजिक सुरक्षा सांख्यिकी 4. शिक्षा, पर्यावरण, मनोरंजन, जेल, न्याय, पुलिस, अपराध, श्रम, रोजगार सांख्यिकी
5- ftyk lkf[;dh r=	1. जिलों का तकनीकी मार्गदर्शन एवं निरीक्षण 2. जिले की प्रकाशनों की परिनिरीक्षण एवं दिशा–निर्देश 3. तकनीकी कार्यों की अर्धवार्षिक / वार्षिक समीक्षा
6- lkekTkkfFkd fo'y"k.k ,o depkjh x.kuk	1. प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन 2. आर्थिक सर्वेक्षण 3. सामाजार्थिक विकास सूचकांक 4. आर्थिक प्रज्ञान – प्रदर्शन 5. डाटा बैंक
7- lkf[;dh leUo; ,o if'k{k.k	1. राज्य के समस्त विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों की समीक्षा, मार्गदर्शन 2. विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों का प्रशिक्षण
8- idk'ku ,o iLrdky;	1. राज्य स्तरीय प्रकाशनों का प्रकाशन 2. पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का क्रय, विक्रय एवं संधारण
9- jk"Vh; U;kn'k lo{k.k	1. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य का सर्वेक्षण, सारणीयन एवं प्रतिवेदन 2. सामाजार्थिक सर्वेक्षण – मूल्यांकन अध्ययन 3. आर्थिक गणना
10- thoukd lkf[;dh	1. जन्म–मृत्यु पंजीयन प्रणाली का संचालन, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण 2. प्रभावी क्रियान्वयन की कार्यवाही 3. वार्षिक जीवनांक प्रतिवेदन 4. वार्षिक कार्यकरण प्रतिवेदन 5. मृत्यु के कारणों का चिकित्सा आधार पर वर्गीकरण–प्रतिवेदन
11- lkn LFkkuh; {k= fodkl ;ktuk	1. मासिक समीक्षा 2. राज्य समीक्षा बैठक आयोजित करना एवं निर्देश प्रसारित करना
12- chl l=h; dk;Øe	1. संबंधित विभागों से प्रगति का मासिक संकलन, संधारण एवं संप्रेषण 2. केन्द्र द्वारा की गई समीक्षा की अनुवर्तन कार्यवाही

20 lw=h; dk;Øe fØ;kUo;u foHkkx

Hkkx&1

foHkkxh; lajpuk rFkk lkekU; tkudkjh

समाज के कमजोर वर्ग के निवासियों की आर्थिक सहायता करने, सम्मान पूर्वक जीवनयापन के अवसर सुलभ कराने, तथा समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य से बीस सूत्रीय कार्यक्रम के प्रबोधन का कार्यक्रम केन्द्र शासन द्वारा अभिज्ञापित परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है । योजनाओं की प्रगति वर्तमान में विभागाध्यक्ष कार्यालयों से प्राप्त कर केन्द्र शासन को संप्रेषित् की जाती है ।

foHkkxh; lajpuk

केन्द्र शासन का बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग योजना की मासिक समीक्षा कर प्रतिवेदन निर्गम करता है । छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यक्रम के अंतर्गत अभिज्ञापित प्रगति की समीक्षा का दायित्व राज्य स्तर पर वित्त एवं योजना विभाग द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को हस्तांतरित किया गया है । राज्य स्तर पर इस हेतु पदों की संरचना स्वीकृत नहीं है ।

v/khuLFk dk;kZy;

कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रत्येक जिला/विकास खण्ड स्तर पर क्रमशः सहायक ग्रेड–2 व सहायक ग्रेड–03 का एक–एक पद स्वीकृत किया गया था जो आज भी जीवित है ।

foHkkxh; nkf;Ro

1. कार्यक्रम की प्रगति का संकलन, अनुश्रवण एवं समीक्षा
2. राज्य/जिला/विकास खण्ड स्तरीय एवं शहरी बीस सूत्रीय समितियों का गठन
3. केन्द्र शासन के बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रसारित निर्देशों पर अनुवर्तन कार्यवाही
4. सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा
5. विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही

iHkkoh vf/kfu;e ,oa fu;e

1. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) बीस सूत्रीय कार्यक्रम अधिनियम, 1980
2. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) बीस सूत्रीय कार्यक्रम अधिनियम, 1997
3. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का क्रियान्वयन नियम, 1991
4. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का क्रियान्वयन नियम, 1997

foHkkx dk lkekU; nkf;Ro

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवेदित प्रगति/उपलब्धियों का समसामयिक मूल्यांकन अनुश्रवण एवं समितियों के सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना विभाग का सामान्य दायित्व है ।

dk;Øe dh izeq[k fo'ks"krk,a

1- izca/ku ,oa vuqJo.k

इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र शासन से प्राप्त दिशा–निर्देशों के सापेक्ष्य में कार्यवाही करते हुए कार्यक्रम प्रगति/उपलब्धियों का राज्य प्रतिवेदन केन्द्र शासन को आगामी माह की पॉच तारीख तक संप्रेषित किया जा रहा है । कतिपय विषयों पर न्यूनतम उपलब्धियों पर विभागीय टीप प्राप्त कर शासन को अवगत कराया जाता है । कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक मार्गदर्शन एवं दिशा–निर्देश दिया जाता है ।

2- ipk;rh jkt lLFkkvk dk iR;k;kftr nkf;Ro

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विषयगत प्रगति व उपलब्धियों की समीक्षा का दायित्व क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं – (राज्य, जिला व विकासखण्ड) को प्रत्यायोजित किया गया है । कार्यक्रम की देख–रेख का दायित्व भी इन संस्थाओं को सौपा गया है ।

Hkkx&2

dk;Øe dk vrxr ctV iko/kku ,o 0;;

कार्यक्रम अंतर्गत जिला/ विकास खण्ड स्तर स्वीकृत पदों पर होने वाले व्यय को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा वर्ष 2009–10 में 173.00 लाख रूपये का आबंटन उपलब्ध कराया गया है जिसके सापेक्ष्य में नवंबर, 2009 तक लगभग 60 प्रतिशत व्यय हुआ है ।

Hkkx&3 fujd
Hkkx&4 fujd
Hkkx&5
vfHkuo ;ktuk,

ch l l=h; dk;Øe dk vrxr leh{kk dh fo"k;xr lph %&

1- ch l l=h; dk;Øe dk vrxr dUnz@jkT; 'kklu }kjk lpkfyr 25 dk;dykik dk lekfgr fd;k x;k g] ftudk fooj.k fuEuor g %&

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
2 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना,
3. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना,
4. स्व सहायता समूह
5. बंजर भूमि का संवितरण,
6. न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन,
7. खाद्य सुरक्षा,
8. ग्रामीण आवास योजना(इंदिरा),
9. कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग आवास,
10. ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम,
11. बाल प्रतिरक्षण,
12. ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम,
13. संस्थागत प्रसव,
14. अनुसूचित जाति परिवार–सहायता
15. अनुसूचित जनजाति परिवार–सहायता,
16. एकीकृत बाल विकास योजना,
17. आंगन बाड़ियों को क्रियाशील करना,
18.शहरी निर्धन परिवारों की सामाजिक सुरक्षा,
19. वनरोपण,
20, विकलांगों/अनाथों का पुनर्वास,
21. वृद्धों का कल्याण,
22.प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, .
23. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण,
24. नलकूपों को विद्युत,
25. सतत विद्युत आपूर्ति,

okf"kd y{; 2009&10

केन्द्र शासन द्वारा राज्य के लिये निर्धारित लक्ष्य बिन्दंवार निम्नानुसार है :–

;ktuk@dk;Øe fooj.k	Hkkfrd bdkb	okf"kd Hkkfrd y{;
1	2	3
1. स्वरोजगार सहायता	हितग्राही संख्या	7,690
2. स्व सहायता समूहों का गठन	समूह संख्या	4,429
3. ग्रामीण आवास निर्माण	आवास संख्या	57,520
4. नगरीय आवास निर्माण	आवास संख्या	10,000
5. पेयजल सुविधा से वंचित बसाहटों के लिए पेयजल	वसाहट संख्या	3,500
6. बच्चों का टीकाकरण	टीकों की संख्या	–

7. एकीकृत बाल विकास परियोजना	परियोजनाओं की संख्या	343
8. ऑगनबाड़ी संचालन	ऑगनबाड़ी संख्या	64,390
9. अनुसूचित जाति परिवार सहायता	हितग्राही संख्या	3,75,000
10.शहरी गरीब परिवारों को सहायता	हितग्राही संख्या	25,000
11. वृक्षारोपण–क्षेत्र अच्छादित	हेक्टर	75,000
12. वृक्षारोपण–वृक्ष	वृक्ष संख्या	4,87,50,000
13. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क	सड़क किलोमीटर	3,500
14. राजीव गांधी विद्युतीकरण	ग्राम संख्या	85
15. पम्प विद्युतीकरण	पम्प संख्या	–

Hkkx&6
izdk'ku

राज्य शासन द्वारा समेकित प्रतिवेदन के आधार पर समसामयिक समीक्षा की जाती है तद–नुरूप केन्द्र शासन द्वारा भी राज्य के परिपेक्ष्य में समीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रेषित् किया जाता है ।

राज्य शासन अथवा संचालनालय द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम संबंधी कोई भी प्रकाशन जारी नहीं किया जाता है ।

Hkkx&7 lkjk'k &fujd